राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
Ministry of Rural Development, Government of India

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 285

प्रगति

समाचार पत्र

फरवरी 2019

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

अभिनव कौशल

भारत में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन: अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है

3 भारत में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन: अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है

विषय-सूची

8
नशीली दवाईयों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एनएपीडीडीआर के तहत एसआईआरडी और ईटीसी के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय परस्पर परिचर्चा कार्यशाला

9
सामुदायिक सहभागिता - स्वच्छ ग्राम पंचायतों की ओर एक कदम

12
सतत विकास एवं सामाजिक न्याय पर सामाजिक न्याय 2019 विश्व दिवस मनाना: मुद्दे और भावी कार्य पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार

15
ग्रामीण विकास के लिए महिला सशक्तिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण

17
ग्रामीण विकास के लिए सतत कृषि रणनीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

18
जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें: डॉ. मालिनी वी. शंकर

19
पोषण अभियान में पीआरआई और एसएचजी को शामिल करने के लिए राइटशॉप

20
सतत विकास के लिए जल संसाधन प्रबंधन पर एएआरडीओ कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम

21
पत्रिका के प्रभावी कारक और इसे सुधारने के तरीकें विषयक लाईब्रेरी टॉक

22
स्कूलों में स्वच्छता पर जागरूकता बढ़ाने में एनआईआरडीपीआर तथा बीडीएल ने समझौते पर हस्ताक्षर किया

23
नशीली दवाईयों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के एसआईआरडी और ईटीसी के लिए एनआईआरडीपीआर ने किया दो दिवसीय राष्ट्रीय परस्पर परिचर्चा कार्यशाला का आयोजन

24
एनआईआरडीपीआर और नाबार्ड ने नाबार्ड के एफपीओ के लिए व्यवसाय विकास कार्यशाला का आयोजन किया

भारत में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन: अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है

फोटो क्रेडिट: विकिमीडिया कॉमन्स

मासिक धर्म एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है और प्रजनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है, फिर भी कई संस्कृतियों में इसे कुछ नकारात्मक, शर्मनाक या गंदा माना जाता है । मासिक धर्म के बारे में घर और स्कूलों में निरंतर चुप्पी और सीमित जानकारी के परिणामस्वरुप लाखों महिलाएँ और लड़कियाँ जब रजस्वला होती हैं तो उनके शरीर में जो कुछ बदलाव हो रहे हैं और इससे कैसे निपटना है इसके बारे में ज्ञान का अभाव होता है । इसके अलावा, मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएँ, महिलाओं और लड़कियों की उनकी समग्र सामाजिक स्थिति और आत्म-सम्मान को कम करके, पूरी तरह से और समान रूप से समाज में भाग लेने की क्षमता को सीमित करती हैं (विश्व बैंक, 2018)।

मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) को 'महिलाओं और किशोरियाँ द्वारा मासिक धर्म की अवधि के लिए जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार रक्त को अवशोषित या जमा करने के लिए एक साफ मासिक धर्म प्रबंधन सामग्री का उपयोग करने, आवश्यकतानुसार शरीर को धोने के लिए साबुन और पानी का उपयोग करने, और उपयोग की जाने वाली मासिक धर्म प्रबंधन सामग्री के निपटान के लिए सुविधाओं का उपयोग करने' के रूप में परिभाषित किया गया है (डब्ल्यूएचओ, 2014)।

मासिक धर्म से जुड़ी मिथकों और वर्जनाओं को योजनाओं और प्रोत्साहन से पहले प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता होती है, जिससे मासिक धर्म की महिलाओं के लिए जीवन बेहतर बनाया जा सके ।

निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां विश्व स्तर पर पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य (डब्ल्यूएएसएच) क्षेत्र में अधिक मान्यता प्राप्त कर रही हैं 2014 के बाद 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म के चक्रों से निपटने और वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर लागू होने वाले समाधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इन मुद्दों का समाधान किया जा सके।

एमएचएम और मानव विकास के परिणामों पर प्रभाव

अध्ययनों ने एमएचएम और मानव विकास परिणामों पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला है । उदाहरण के लिए, नाइजीरिया में 25 प्रतिशत महिलाओं में शौच या मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए पर्याप्त गोपनीयता की कमी है, जबकि बांग्लादेश में, 10 प्रतिशत से कम स्कूल एमएचएम पर शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मासिक धर्म का कम ज्ञान होता है और एक तिहाई लड़कियों का दावा है कि मासिक धर्म उनके स्कूल के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, (यूनिसेफ, 2016)।

हालांकि एक महिला में मासिक धर्म की पहली घटना और मासिक धर्म बंद होने के लिए आयु भौगोलिक क्षेत्र, नस्ल और जातीयता और अन्य निर्धारकों द्वारा भिन्न होती है, लेकिन शोध प्रमाण

मासिक धर्म पर जागरूकता पैदा करने के लिए जुलूस निकालती हुई महिलाएं और लड़कियां (फाइल फोटो)

फोटो क्रेडिट: विकिमीडिया कॉमन्स

हुए, यह गणना की जा सकती है कि एक औसत भारतीय महिला मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति के बीच अपने जीवनकाल में लगभग 2040 दिनों तक मासिक धर्म करती है।

सामाजिक कलंक, सामाजिक-सांस्कृतिक मिथकों और वर्जनाओं, सूचनाओं की कमी या गलत सूचना, शौचालयों और सैनिटरी नैपकिन की अनुपलब्धता और कमी तथा सैनिटरी नैपकिन के निपटान से जुड़ी पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण, मासिक धर्म एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया होने के बावजूद, मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन (एमएचएम) की कमी भारत में महिलाओं और लड़कियों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। इस समस्या में उपेक्षा का एक घटनाचक्र शामिल है। सबसे पहले, अपने स्वयं के जीवन के बारे में निर्णय लेने में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी की कमी है, दूसरा, मासिक धर्म स्वच्छता और महिलाओं को ही मासिक धर्म क्यों होता है इसके बारे में जानकारी और जागरूकता की कमी, और आखिरकार सेनेटरी सामग्री और सुविधाओं तक पहुंच की कमी है।

मासिक धर्म स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले शीर्ष कारकों में से एक है और ग्रामीण भारत में इसके यथोचित प्रबंधन में शिक्षा की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश लड़कियों को यह पता नहीं है कि जब उन्हें पहली मासिक धर्म होता हैं तो क्या होता है और क्यों और कैसे उनका शरीर इस प्रक्रिया से गुजरता है। निस्संदेह, यह इन लड़कियों के लिए गरीबी के अंतहीन चक्र की शुरुआत है क्योंकि यह जीवन बदलने वाली घटना के कई महत्वपूर्ण निर्धारित परिणाम हैं। उनमें से एक, मासिक धर्म के दौरान स्कूलों में लड़कियों की स्वाभाविक अनुपस्थिति है, जो उनकी शिक्षा और प्रजनन कार्य प्रणाली के संक्रमण के अधिक फैलने के साथ स्कूली शिक्षा को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। एमएचएम के बाहरी क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं में अवसाद और कम स्वाभिमान अधिक पाया जाता है। इसके अलावा, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का सार्वजनिक दायरे से बाहर निकालना भी परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

मासिक धर्म से संबद्ध सामाजिक नियम और लड़कियों पर इसका प्रभाव

किसी भी सामाजिक विकास कार्यक्रम का परिदृश्य सामाजिक मानदंडों से बहुत प्रभावित होता है। समाज में व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अधिकांश निर्णय और व्यवहार विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिन्हें लोग इसके अनुरूप बनाना चाहते हैं, अन्यथा यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो वे कलंकित महसूस करते हैं। सामाजिक व्यवहार जो महिलाओं को उनके मासिक धर्म के दौरान अधिकारों से वंचित करती हैं, वह आज भी भारत में सक्रिय हैं।

मासिक धर्म वाली महिलाओं को अपवित्र और अशुद्ध माना जाता है, और उन्हें रोज़मर्रा की गतिविधियों और धार्मिक कार्यों में भाग लेने से नियमानुसार बाहर रखा जाता है। मासिक धर्म से जुड़े निषेध और कलंक इस विषय से सम्बंधित चुप्पी की समग्र शिष्टता को आगे बढ़ाते हैं। मासिक धर्म

वाली लड़कियों के दूरी और परिवार में उन पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप न केवल मासिक धर्म और मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में सीमित जानकारी मिलती है, बल्कि इस घटना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बल मिलता है, जिससे लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा पर गंभीर असर पड़ सकता है । इस प्रकार, महिलाओं और किशोरियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) को बढ़ावा देना न केवल एक स्वच्छता का मामला है, बल्कि समाज में लड़कियों और महिलाओं की गरिमा, अखंडता और समग्र जीवन के अवसरों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम है ।

मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लैंगिक समानता के व्यापक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमताओं का निर्माण करना और समाज में सभी हितधारकों को एक समग्र दृष्टिकोण से जोड़ना महत्वपूर्ण है ।

पुरुषों और लड़कों की भूमिका

शोध के निष्कर्षों से पता चलता है कि लड़कियां बड़े पैमाने पर लड़कों के साथ किशोरावस्था तक, जीवन के विभिन्न पहलुओं में बराबरी करती हैं, लेकिन युवावस्था की शुरुआत से ही, लड़कियाँ घूमना एवं कर्तव्य के लिए बढ़ते प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है । इसका एक कारण लैंगिक असमानता है । पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान शक्ति संबंधों के परिणामस्वरूप महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ें घरों, समुदायों और विकास कार्यक्रमों में निर्णय लेने में सुनाई नहीं देती हैं । भारत में, मासिक धर्म के दौरान, महिलाओं और लड़कियों को अक्सर पानी और स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने से अलग रखा जाता है, सामाजिक, शैक्षणिक, उत्पादक और धार्मिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग नही ले सकती और कुछ संस्कृतियों में, घर से भी बाहर रखा गया है (हाउस और अन्य 2012)। इस संदर्भ में, पुरुष और लड़के निश्चित रूप से महिलाओं और लड़कियों को पति और पिता, भाई, छात्र, सहकर्मी शिक्षक, नियोक्ता, आदि के रूप में घर और समुदाय में उनकी भूमिकाओं सहित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से मासिक धर्म का

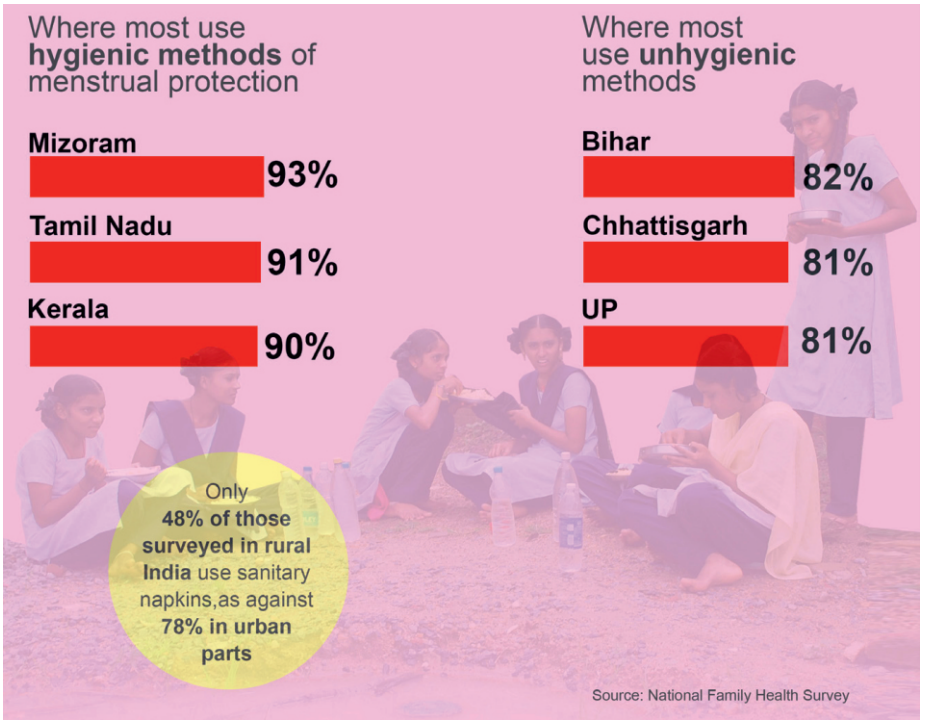

सभी राज्यों में स्वास्थ्यकर/अस्वास्थ्यकर मासिक धर्म सुरक्षा पद्धति को दर्शाता चार्ट

प्रबंधन करने के लिए समर्थन कर सकते हैं । पुरुषों का समावेश ग्रामीण भारत में स्थायी मासिक धर्म स्वच्छता पद्धतियों के प्रति अधिक सकारात्मक वातावरण बना सकता है । इसलिए, मासिक धर्म और मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित महिलाओं और लड़कियों की व्यावहारिक और दोनों आवश्यकताओं पूरा करते हुए व्यापक कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है जो महिलाओं और लड़कियों तथा पुरुषों एवं लड़कों को भी लक्षित करते हैं ।

भारत में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पद्धति (एमएचएमपी)

राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में, कई युवा ग्रामीण लड़कियों द्वारा मासिक धर्म को गंभीर बीमारी की शुरुआत माना जाता है । एनएफएचएस-4 के निष्कर्ष बताते हैं कि केवल 57.6 प्रतिशत महिलाएँ सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं जिनमें 48.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ और 77.5 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ हैं । भारत में 15 से 24 वर्ष की महिलाओं में से 42 प्रतिशत सैनिटरी नैपकिन, 62 प्रतिशत कपड़े का उपयोग करती हैं और 16 प्रतिशत स्थानीय रूप से तैयार नैपकिन का उपयोग करती हैं । कपड़े का उपयोग करने वाली महिलाएं धोने, सफाई और सुखाने के बाद उनका पुन: उपयोग करती हैं । हालांकि, इन पुन: प्रयोज्य सामग्री को अक्सर विवश परिस्थितियों में या जागरूकता की कमी के कारण साबुन और साफ पानी से ठीक से साफ नहीं किया जाता है । सामाजिक वर्जनाएँ भी महिलाओं को घर के बाहर नहीं, बल्कि घर के अंदर सुखाने के लिए प्रतिबंधित करती हैं । देश भर में किए गए कई अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि जिन महिलाओं ने सेनेटरी पैड का इस्तेमाल किया है, उनकी तुलना में मासिक धर्म के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में वैजिनिटिस एंड यूरिनरि ट्रैक्ट इंफैक्शन दो गुणा अधिक था । (यूएनएफपीए 2012; पद्म दास और अन्य, 2015)।

देश में व्यापक अंतर-राज्य विविधता के कारण, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पद्धतियाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग हैं और समुदाय की शहरी-ग्रामीण व्यवस्था के आधार पर भी प्रभावित होती हैं । अन्य कारक जैसे सैनिटरी स्वच्छता उत्पाद की वहनीयता, उत्पाद की पहुंच, ऐसे उत्पादों की उपलब्धता के बारे जानकारी, सही उपयोग और निपटान और यहां तक कि व्यक्तिगत, माता और परिवार की शैक्षिक स्थिति भी पूरी तरह से भारत में मासिक धर्म स्वच्छता पद्धतियों को प्रभावित करती है । हालांकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -4 के सबसे नये आंकड़ों से पता चलता है

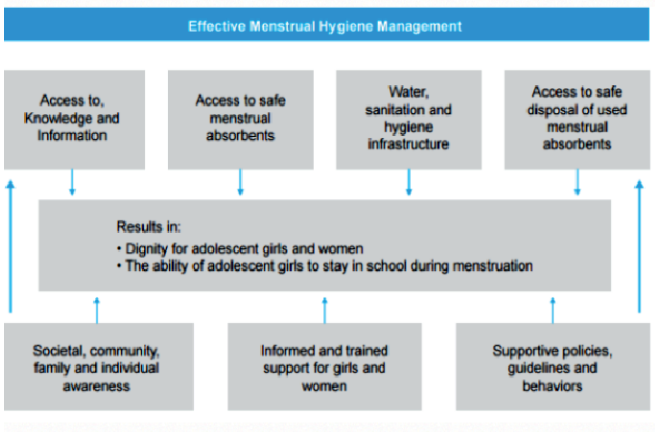

Source: Ministry of Drinking water and Sanitation

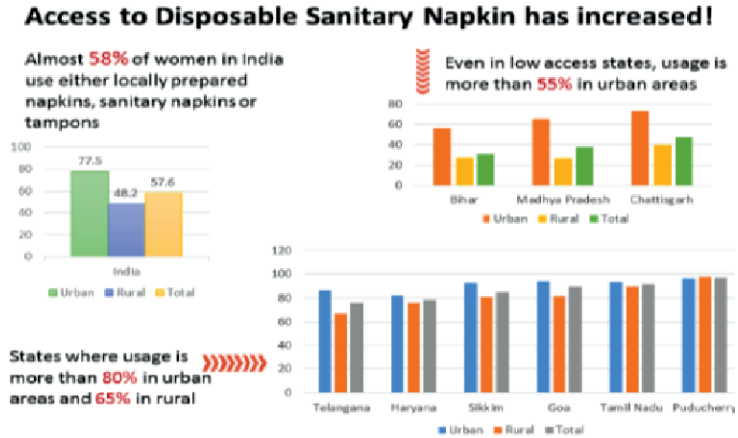

Source: National Family Health Survey 2015&16

भारत में प्रभावी मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन और सैनिटरी नैपकिन के निपटान तक पहुंच का संकेत चार्ट

कि कुल मिलाकर 57.6 प्रतिशत महिलाएं मासिक धर्म सुरक्षा के लिए स्वच्छ तरीके का उपयोग कर रही हैं, फिर भी सभी महिलाओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित मासिक धर्म अवशोषक सामग्री की उपलब्धता और पहुंच वर्तमान भारतीय संदर्भ में सुदूरवर्ती सपना प्रतीत होता है।

भारत में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कार्य

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में प्रजनन आयु वर्ग (15-49 वर्ष) में महिलाओं की संख्या 30 करोड़ से अधिक है। बीमारी की मात्रा और जीवन की खराब गुणवत्ता का संज्ञान लेते हुए एक महिला को देश में उचित एमएचएम धारणा और पद्धतियों के अभाव को सहना होगा, भारत सरकार ने स्वास्थ्य सुधार, सर्वसमावेशी कल्याण और किशोर लड़कियों और महिलाओं के पोषण की स्थिति, इसके साथ ही साथ किशोर लड़कियों की स्कूल में अनुपस्थिति को कम करने के लिए एमएचएम को राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार के पहल के भाग के रूप में शामिल किया है। एमएचएम को स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने देश में बेहतर एमएचएम के लिए राज्य सरकारों, जिला-स्तरीय अधिकारियों, इंजीनियरों और स्कूल शिक्षकों द्वारा लागू किए जाने के लिए परिचालन दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एमएचएम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में और आरएमएनसीएच + ए रणनीति में केंद्रित किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सबला कार्यक्रम ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तीकरण में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में एमएचएम पर जागरूकता सृजन को शामिल किया है।

यूनिसेफ ने जागरूकता बढ़ाने, व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान देने, सीमावर्ती सामुदायिक संवर्ग का क्षमता निर्माण करने, प्रमुख हितधारकों के संवेदीकरण और सुरक्षित निपटान विकल्पों सहित डब्ल्यूएएसएच सुविधाओं के निर्माण की दिशा में तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 'स्वच्छ भारत: स्वच्छ विद्यालय' अभियान भी शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के प्रत्येक स्कूल में कार्य की एक पद्धति है और सुव्यवस्थित डब्ल्यूएएसएच की सुविधाएँ है। स्कूलों में नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाकर स्कूल में जाने वाली लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस्तेमाल किए गए एमएचएम उत्पादों के निपटान के लिए स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों से जुड़ी कम लागत वाली क्रीमेटरिअम मशीन जो कि पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपटान तंत्रों में से एक है तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अब तक किए गए कई पहल के बावजूद, अभी भी चुनौतियों का सामना करना बाकी है। महिलाओं के लिए स्वस्थ एमएचएम सुनिश्चित करना निश्चित रूप से समस्या, आवश्यकताओं और प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित जटिलताओं की स्पष्ट समझ की आवश्यकता है जो भारतीय महिलाओं की धारणा और प्रथाओं को संभावित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

चुनौतियाँ

मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन जागरूकता: बाधाओं को कम करना

- देश के विभिन्न भागों के अध्ययन से पता चला है कि एक सामान्य जैविक घटना के रूप में मासिक धर्म के बारे में समाज के विभिन्न वर्गों को अपर्याप्त जागरूकता और जानकारी है। प्रचलित सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों, मान्यताओं और पद्धतियों से महिलाओं और लड़कियों को बिना किसी डर या शर्म के मासिक धर्म के बारे में खुलकर बात करना मुश्किल हो जाता है। मासिक धर्म समाज में एक ऐसा वर्जित विषय है जिसके बारे में न केवल लड़कियों और महिलाओं को शर्म महसूस होती है, बल्कि स्कूल के शिक्षक और यहां तक कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी एमएचएम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने में असुविधा महसूस करते हैं। इसलिए, मासिक धर्म के प्रति युगों-पुराने सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने और चुप्पी और जड़ता की संस्कृति को तोड़ने की दिशा में सभी प्रयासों की बहुत आवश्यकता है।

- सामुदायिक संपर्क सुअवसरों (जैसे ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस) के उपयोग के लिए अभिनव आईईसी दृष्टिकोण और मास मीडिया और सोशल मीडिया की सक्रिय भागीदारी एमएचएम जागरूकता के लिए बाधाओं को

फोटो साभार : भारत के बच्चों को बचाओ

कम करेगी। मासिक धर्म के प्रबंधन के व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय युवावस्था, मासिक धर्म और स्थानीय संदर्भों में विशिष्ट रूप से निर्मित एमएचएम के जैविक और मनोसामाजिक पहलुओं पर लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए अनुकूलित समय और सटीक जानकारी का प्रसार करने के लिए एडब्ल्यूडब्ल्यू सहित स्कूल के शिक्षकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण, समग्र रूप से जागरूकता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं।

- सैनिटरी नैपकिन के प्रावधान पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है । महिलाएँ विशेष रूप से लड़कियाँ को स्कूल में समस्याएँ, एक क्षेत्र में परिवर्तन की पहुंच से संबंधित है, और फिर नैपकिन (पैड) का निपटान इसलिए आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है । सस्ती किमत पर स्वच्छ मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन उत्पादों तक पहुंच में सुधार करना स्वस्थ मासिक धर्म प्रबंधन पद्धति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है ।

- सामुदायिक स्तर पर पुरुष संवेदना संबंधी जानकारी बढाने और इस तरह सहायक रवैये को बढ़ावा देने से महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली भेदभावपूर्ण पद्धतियों को दूर करने में अधिक प्रभाव पड़ेगा।

- नकारात्मक मिथकों और गलत धारणाओं का विरोध करने में महत्वपूर्ण सामुदायिक प्रभाव को, यानी सामाजिक और धार्मिक नेताओं की भागीदारी, सामाजिक स्तर पर एक सहायता प्रणाली बनाने में भी मदद करेगा।

निष्कर्ष

लड़कियों और महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता सुनिश्चित करना विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए जो सभी संबंधित हितधारकों से तत्काल और गहन कार्रवाई की बात कहता है । मासिक धर्म के संबंध में हमारी संस्कृति और समाज के प्रचलित मानदंडों में बदलाव लाने के लिए सभी माताओं को, अपनी बेटियों के साथ मासिक धर्म से पहले मासिक धर्म की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करने के लिए उनके अवरोधों को तोड़ने के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए ।

मासिक धर्म से जुड़े मिथकों को दूर करने के लिए गहन और प्रभावी जानकारी, शिक्षा और संचार गतिविधियां (आईईसी) और ग्रामीण स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी शुरू की जानी चाहिए ।

सीमान्तीकृत और आदिवासी लड़कियों एवं महिलाओं के बीच मासिक धर्म स्वास्थ्य और प्रजनन शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है । इन मुद्दों पर खुली बातचीत स्कूल के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए । सेनेटरी नैपकिन महिलाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए कि वे कपड़े, मिट्टी या रेत का उपयोग करने की पुरानी अस्वास्थ्यकर परंपराओं के शिकार न हों।

इतना ही नहीं बल्कि, ग्रामीण भारत में स्थायी मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं के प्रति अधिक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करने के लिए पुरुषों और लड़कों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है ।

डॉ. सुचरिता पुजारी
सहायक प्रोफेसर
सीपीजीएस एवं डीई
आवरण पृष्ठ डिजाइन: श्री वी.जी. भट्ट

नशीली दवाईयों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एनएपीडीडीआर के तहत एसआईआरडी और ईटीसी के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय परिचर्चा कार्यशाला का आयोजन

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्री आनंद कटोच, निदेशक, एनआईएसडी, नई दिल्ली और डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीईएसडी, एनआईआरडीपीआर की उपस्थिति में एसआईआरडी और ईटीसी के लिए, परिचर्चा कार्यशाला के दौरान नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहानी कहने की रणनीतियों का प्रदर्शन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कहानीकार, श्रीमती दीपा किरण

राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी), नई दिल्ली के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के समता एवं सामाजिक विकास केंद्र ने दिनांक 1 और 2 फरवरी, 2019 को नशीली दवाईयों की मांग में कमी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) और प्रशिक्षण विस्तार केन्द्रों (ईटीसी) के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय परस्पर परिचर्चा कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, ने श्री आनंद कटोच, निदेशक, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी), नई दिल्ली की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन किया गया।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी ने पंचायती राज संस्थानों के प्रशिक्षण के माध्यम से निवारक शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन में और ग्रामीण लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से नशीली दवाईयों के दुरुपयोग के खतरे की रोकथाम के लिए एक या दो सत्रों को शामिल करने के लिए कार्रवाई की तैयारी में एसआईआरडी और ईटीसी की भूमिका पर प्रकाश डाला।

श्री आनंद कटोच, निदेशक, एनआईएसडी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की नीति को समझाया और नशीली दवाईयों की मांग में कमी और इसकी रणनीतियों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना पर विचार-विमर्श किया।

इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कहानीकार श्रीमती दीपा किरण ने कहा कि कहानी वाचन का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर स्कूली बच्चों, एसएचजी महिलाओं और पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच नशीली दवाओं की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने में एक रणनीति के रूप में किया जा सकता है । उन्होंने शैक्षिक निहितार्थ और लोगों को जोड़ने और प्रेरित करने के तरीकों के साथ एक कहानी भी सुनाई।

डॉ. टी विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समता एवं सामाजिक विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर, कार्यशाला समन्वयक ने कहा, " नशीली दवाईयों और मादक द्रव्यों का सेवन एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, यह भारत सहित दुनिया भर में खतरनाक अनुपात में पहुँच रहा है । सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव, आर्थिक तनाव में वृद्धि और समर्थन प्रणालियों की कमी इसके कुछ कारण हैं । यह कई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक व्यवहार समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार है । ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज (जीबीडी), 2010 के अध्ययन में पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर विकलांगता के कारण गंवाए पदार्थों का उपयोग 0.4 प्रतिशत वैश्विक स्तर पर होता है । जीबीडी ने बताया कि अफीम, कोकीन और एम्फ़ैटेमिन लगभग 44000 विनिर्दिष्ट मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, और 7,02,000 लोगों की मृत्यु का कारण बनता है । मादक द्रव्यों के सेवन और शराब के सेवन से विशेषकर महिलाओं और बच्चों में, परिवार पर वित्तीय बोझ का उल्लेख नहीं करते हुए भी, परिवार के सदस्यों पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता, भय और अवसाद का विशेष रूप से प्रभाव पड़ सकता है । अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अटेंडेंट लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे भी हैं ।

" कार्यशाला का उद्देश्य भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्मित राष्ट्रीय नशीली दवाईयों की मांग में कमी में कार्य योजना के ढांचे के संदर्भ में जागरूकता और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम शिक्षा पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना है । "इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज संस्थाओं को शामिल करके

भागीदारी, गठबंधन और सामूहिक कार्रवाई शामिल है" ऐसा उन्होंने कहा।

दो दिवसीय कार्यशाला में, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, हेरिटेज फाउंडेशन के स्त्रोत व्यक्ति, एवं उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद के मनोरोग विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। दूसरे दिन, श्री विवेकानंद रेड्डी, उपायुक्त, आबकारी एवं निषेध विभाग, तेलंगाना सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की स्थिति से निपटने में आबकारी एवं निषेध विभाग द्वारा निभाई जा रही भूमिका प्रस्तुत की।

कार्यशाला में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित 21 राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सामुदायिक भागीदारी और जुटाव के माध्यम से इस मुद्दे को निपटने के लिए कार्यक्रम में भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की स्थिति, ड्रग डिमांड रिडक्शन 2018-2023 के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की मुख्य विशेषताएं, स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों, स्कूली बच्चों और पंचायती राज संस्थाओं की महिला सदस्यों को शामिल करके निवारक शिक्षा रणनीतियों पर चर्चा की गई।

कार्यशाला का संयोजन डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र, एनआईआरडीपीआर के डॉ. सत्य रंजन महाकुल, सहायक प्रोफेसर, डॉ. रुबीना नुसरत, सहायक प्रोफेसर और डॉ. वी. ललिता, सेंटर ऑफ इक्विटी एंड सोशल डेवलपमेंट के यूजीसी-पीडीएफ द्वारा किया गया।

सामुदायिक भागीदारी - स्वच्छ ग्राम पंचायतों की ओर एक कदम

एसएचजी महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए डॉ. यू. हेमंत कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर और एनएसआरसी परियोजना टीम

यूनिसेफ, हैदराबाद द्वारा समर्थित ग्रामीण आधारभूत संरचना केन्द्र (सीआरआई) के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता संसाधन केंद्र (एनएसआरसी) की परियोजना दल ने आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) सततता की स्थिति पर अध्ययन किया।

अध्ययन के भाग के रूप में, दल ने स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के जिला अधिकारियों के साथ बातचीत की और प्राथमिक आंकड़ों का पता लगाया। ओडीएफ सततता स्थिति को समझने के लिए, दल ने दिसंबर २०१८ के दौरान नेल्लूर जिले के आदिवासी, मैदानी और तटीय क्षेत्रों का दौरा किया। टीम द्वारा जिन बस्तियों और ग्राम पंचायतों का दौरा किया गया, वे है वेंकटेश्वरपुरम के देवुलावेल्लमपल्ली (जीपी), दक्कली (एम), बस्ती, पेलकुर (एम) के थलवेइपाडु (जीपी), थुम्मलपेंटा (जीपी) में नायुडुपेटा डिवीजन और श्रीराम पुरम बस्ती एवं नेल्लूर जिले के कावली मंडल (तटीय क्षेत्र)।

इस दौरे की प्रमुख टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

अधिकांश घरों (एचएच) ने एमजीएनआरईजीएस और एसबीएम-जी जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत एकल पिट शौचालय का निर्माण किया है। इन योजनाओं के अलावा, अधिकांश परिवारों ने छत, टाइल्स तथा अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए 20,000 से 30,000 रूपए की अतिरिक्त राशि खर्च की है। इन बस्तियों में केंद्रीय सार्वजनिक/ योजना जल स्कीम (सीपीडब्ल्यूएस) के तहत ओवर हेड सरफेस जलाशय (ओएचएसआर) हैं। अधिकांश घरों में शौचालय में पानी के नल की सुविधा नहीं है। हालांकि, घरवालों ने निस्तब्धता के उद्देश्य से शौचालयों में बाल्टी और छोटे ड्रमों में पानी रखा है। अत:, शौचालयों के निरंतर उपयोग के बाद भी पानी की कोई समस्या नहीं देखी गई।

कुछ घरों द्वारा सूचित किया गया कि, केवल छोटे या

एसबीएम-जी के तहत निर्मित शौचालय

नन्हे बच्चे जिन्होंने शौचालय उपयोग करने का अभ्यास विकसित नहीं किया है, उन्हे छोडकर बाकी निवासी शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि, अभिभावकों ने बताया है कि वे मल को इकट्ठा करके शौचालय में निकासित करते है। उन्होंने यह भी बताया किया कि वे बच्चों के मल का निकास करने के बाद हाथों को धोते हैं।

शोध दल ने देखा कि हाथ धोने के उद्देश्यों के लिए साबुन के टुकडें शौचालयों की दरवाजों या तो दीवारों से चिपकी हुई हैं। यद्यपि यह स्वच्छ तरीका नहीं है फिर भी यह शौचालय का उपयोग एवं शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोने के अभ्यास का संकेत देता है। यह भी देखा गया कि घरों में सफाई करने के लिए शौचालय में टॉयलेट क्लीनिंग एसिड और/ या फिनाइल रखा हुआ है। प्रत्येक घर टॉयलेट क्लीनिंग एजेंटों के लिए प्रति माह लगभग 200 रुपए खर्च करने की रिपोर्ट मिली है। एक अन्य महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि खुले क्षेत्रों में कोई जला हुआ कचरा नहीं था और घरों के आसपास के क्षेत्र में कोई भी पशु गोबर नहीं मिला।

टीम ने बस्ती में स्थित अपशिष्ट से संपत्ति खाद यार्ड का भी दौरा किया, जिसका निर्माण सरकारी भूमि पर किया गया था। उनके पास एक ग्रीन दूत भी है जो हर घर के दरवाजे तक जाकर कचरा इकट्ठा करता है। ग्रीन दूत स्रोत पर सूखे और गीले कचरे को अलग करता है और गीले कचरे को खाद यार्ड में स्थानांतरित करता है।

प्रमुख सूचकों द्वारा बताया गया कि जिले के पूर्व कलेक्टर सुश्री जानकी ने 2016 में रायपुर, छत्तीसगढ़ में समुदाय उन्मुख कुल स्वच्छता (सीएलटीएस) पर एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था। इसके बाद, उन्होंने नेल्लूर जिले के जिला अधिकारियों के लिए इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन का नेतृत्व किया। चयनित एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ सभी जिला अधिकारियों ने सीएलटीएस पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जमीनी स्तर के अधिकारियों को प्रदान किया है।

जिला प्रशासन ने 8 मार्च, 2016 को एक ब्रांड लोगो का निर्माण किया है, जिसका नाम 'आत्म गौरव' है। लोगो के अलावा, उन्होंने "आत्म गौरव सेल" नामक एक अलग सेल का भी निर्माण किया है। जिला प्रशासन न केवल एक ब्रांड/ लोगो के निर्माण तक ही सीमित नहीं हुआ, बल्कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरे जिले के सभी महिला अधिकारियों और सरपंचों को भी शामिल किया। इसके अलावा, एसबीएम की बेहतर पद्धतियों को प्रकाशित/ रिपोर्ट करने के लिए मुद्रण एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई।

जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक विभिन्न समितियाँ हैं, यथा कोर कमेटी, मंडल संसाधन समिति, टास्क फोर्स दल और निगरानी कमेटी आदि। इन समितियों का नेतृत्व विभिन्न स्तरों पर जिला कलेक्टर, एमडीओ और सरपंच करते हैं। इन समितियों का उद्देश्य अधिकारियों को एसबीएम-जी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, जिला अधिकारी रात के दौरान गांवों में शौचालय उपयोग के महत्व पर समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए रुके थे।

गहन जागरूकता अभियान के परिणामस्वरूप, शौचालयों के निर्माण की भारी मांग थी। साथ ही साथ, सीमेंट रिंगों और अन्य शौचालय निर्माण सामग्रियों की कमी थी। इस मुद्दे को हल करने के लिए, जिला कलेक्टर ने खाते (राजमिस्त्री सामग्री) का जायजा लेने का प्रयास किया और संबंधित अधिकारियों को ग्राम स्तर पर रिंग्स बनाने का निर्देश दिया। मंडल स्तर के अधिकारियों ने ग्रामीणों की मदद ली और योजना को अंजाम दिया। इससे ग्रामीणों को परिवहन शुल्क कम करने में मदद मिली और दूसरों को रोजगार का अवसर मिला।

जिला प्रशासन ने विभिन्न अभिनव जागरूकता गतिविधियां प्रारंभ की है और कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं:

निगरानी समितियों में स्कूली बच्चे:
छात्र जो निगरानी समिति का हिस्सा है वे सुबह 4:30 बजे अपना काम शुरू करते हैं और वे खुले में शौच करने की जगहों पर छिप जाते हैं। जब वे निगरानी कार्य में होते है तब वे अपने साथ रेत से भरा एक बैग लेकर जाते हैं और खुले स्थानों में शौच करने वाले व्यक्ति को यह रेत देते हैं। वे उनके सामने उस व्यक्ति से मल को रेत से कवर कराते हैं। तीन महीने के लगातार प्रयासों के बाद, ग्रामवासियों ने खुले स्थानों में शौच करना बंद कर दिया।

चेम्बुकु समाधि अभियान (लोटे को दफनाना):
खुले में शौच के लिए जाते समय पानी ले जाने के लिए जिस लोटे का उपयोग करते है उसके लिए "चेम्बुकु समाधि" (लोटे को दफनाना) नामक जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया। इसके भाग के रूप में, जिला अधिकारी, राजनीतिक दलों और अन्य प्रमुख सदस्यों ने लोटे का अंतिम संस्कार कर उसका दफन किया। संबंधित अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि शौचालय के उपयोग पर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय मीडिया द्वारा इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से कवर किया गया है।

ग्रीन दूत - जो घर-घर जाकर कचरे को इकट्ठा करता है

सरकारी अधिकारी रात को गांवों में रहते हैं:

ओडीएफ अभियान के भाग के रूप में, सरकारी अधिकारी रात के दौरान गांवों में शौचालय के उपयोग के महत्व पर समुदायों में जागरूकता पैदा करने के लिए रुके थे । जैसा कि कई लोगों ने बताया, इस पहल से ग्रामीणों के शौचालय उपयोग अभ्यास पर अच्छा प्रभाव पड़ा है ।

अपशिष्ट प्रबंधन:

गाँववालों ने न केवल शौचालयों के निर्माण और उपयोग में भाग लिया, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के उद्देश्यों में भी योगदान दिया । इसके लिए, स्थानीय पंचायतों ने "ग्रीन दूत" नामक एक व्यक्ति की भर्ती की है, जो हर दिन घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करता है । ग्रीन दूत कचरे को ट्राइसाइकिल में खाद यार्ड तक पहुंचाता है और उसे अलग करता है । यह जिला "स्वच्छ पंचायतों" की दिशा में आगे बढ़ रहा है ।

विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के अलावा, जिला प्रशासन ने भी ओडीएफ स्थिति की प्रगति का अनुसरण किया । प्रारंभ में, जिला प्रशासन ने एक महीने के भीतर 100 जीपी को ओडीएफ घोषित किया है और प्रत्येक मंडल और जीपी को मासिक लक्ष्य निर्धारित किया है । फिर, जिले ने दैनिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करके कम प्रदर्शन करनेवाले मंडल और जीपी पर ध्यान केंद्रित किया है । जिला अधिकारियों द्वारा इस तरह के सामूहिक प्रयासों और निरंतर अनुवर्ती के साथ, मार्च 2017 में नेल्लूर जिले को 'स्वच्छ जिला' घोषित किया गया ।

महत्वपूर्ण मुद्दे

विभिन्न कार्यों के बावजूद, कुछ अपरिहार्य शुरुआती परेशानियां भी रही, जो किसी भी परियोजना के शुरुआती चरणों में होने की उम्मीद की जाती है । इस परियोजना में पाई गई कुछ प्रमुख चिंताएँ निम्नलिखित हैं:

स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय उपयोग के मुद्दे: स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रमुख मुद्दा शौचालय के रखरखाव हेतु कर्मचारियों (जैसे स्वीपर) को काम पर रखने के लिए धन की अनुपलब्धता । इसके अलावा, स्कूलों को पानी की सुविधा नहीं दी जाती है, जो स्कूली बच्चों में स्वच्छता अभ्यास को सुधारेगा ।

व्यक्तिगत परिवारों के मुद्दे: कुछ व्यक्तिगत परिवारों ने विभिन्न योजनाओं के तहत एकल गड्ढे वाले शौचालयों का निर्माण किया है । यदि परिवार के सभी सदस्य शौचालय का उपयोग करते हैं, तो गड्ढे जल्दी भर सकते हैं । उन परिवारों की महिलाओं ने गड्ढे जल्द भरने की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की ।

गांवों में ओडीएफ बनाए रखने के लिए, जिला प्रशासन को ग्रामीण घरों में जुड़वां गड्ढों वाले शौचालयों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे ।

नेल्लोर जिले में ओडीएफ परियोजना पर हमारा विचार:

कुल मिलाकर, टीम ने देखा कि स्थानीय और जिला प्रशासन के सहयोग से नेल्लूर जिले के गांवों में काफी हद तक ओडीएफ कार्यों को लागू किया गया है । उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्रों में ओडीएफ पहल के कारण कुछ समस्याएँ रही हैं, उदाहरण के लिए, पानी की अनुपलब्धता या शौचालयों के खराब रखरखाव के कारण कुछ स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों में अभी भी खुले में शौच की प्रथा जारी है । हालांकि, नेल्लूर जिले में ओडीएफ कार्यान्वयन द्वारा प्रारंभ किए गए अभिनव जागरूकता, निगरानी और अनुवर्ती दृष्टिकोण सराहनीय हैं और उन्हें समान सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में कहीं और दोहराया जा सकता है ।

सुधा पोलेनी
परियोजना संयोजक, एनएसआरसी
और
प्रोफेसर पी. शिवराम
अध्यक्ष, सीआरआई

सतत विकास एवं सामाजिक न्याय पर सामाजिक न्याय 2019 विश्व दिवस मनाना: मुद्दे और भावी दिशाएं विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

'सतत विकास एवं सामाजिक न्याय' पर सामाजिक न्याय 2019 को विश्व दिवस को मनाने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने दिनांक 20 - 21 फरवरी, 2019 तक सतत विकास एवं सामाजिक न्याय पर सामाजिक न्याय 2019 का विश्व दिवस: मुद्दे और आगे की दिशाएं को चिह्नित करने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

डॉ. रवींद्र गवली, प्रोफेसर एंव अध्यक्ष, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया और इस तरह के राष्ट्रीय सेमिनार के महत्व एवं सामाजिक न्याय 2019 का विश्व दिवस मनाने के बारे में बताया।

इस अवसर पर बात करते हुए, डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एंव अध्यक्ष, समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र, एनआईआरडीपीआर ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं को शामिल करने के लिए विकास की सीमाओं को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आगे उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में, अवसर की समानता, हकदारिता, जवाबदेही और संसाधनों के उचित वितरण के लिए विकास को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता है।

श्रीमती द्रौपदी जिमिरे, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सिक्किम दिव्यांग सहायता समिति (एसवीएसएस) के संस्थापक और डॉ. लवु नरेंद्रनाथ, आर्थोपेडिक सर्जन सम्मानीय के अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। श्रीमती द्रौपदी जिमिरे को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनकी सराहनीय तीन दशक लंबी सेवा के लिए 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

डॉ. लवु नरेंद्रनाथ को पोलियो प्रभावित व्यक्तियों एवं अपंगों के लिए अल्ट्रा लो वेयट प्रोस्थेटिक अंगों का विकास कारने में सराहनीय कार्य करने और भारतीय चिकित्सा में उनके योगदान के लिए वर्ष 2005 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर, एनआईआरडीपीआर ने श्रीमती द्रौपदी जिमिरे और डॉ. लवु नरेंद्रनाथ को उनके मूल्यवान योगदान के लिए सम्मानित किया।

उद्घाटन सत्र में, प्रोफेसर आर. लिम्बाद्री, उप-कुलसचिव, तेलंगाना राज्य उच्च शिक्षा ने मुख्य भाषण प्रस्तुत करते हुए छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया चूंकि सामाजिक न्याय और असमानताओं को दूर करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

प्रोफेसर रमेश चंद्र पटेल, डीन, शिक्षा एवं मनोविज्ञान संकाय, एम.एस. विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात, ने प्राथमिक शिक्षा में सामाजिक एवं जेंडर अंतर को कम करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने पर अधिक ध्यान देते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया।

डॉ. फ्रैंकलिन लल्तिनखुमा, आईएएस, रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन) एनआईआरडीपीआर की उपस्थिति में श्रीमती वी. उषा रानी, आईएएस, महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रबंधन संस्थान ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की।

डॉ. आर.आर. प्रसाद, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, एनआईआरडीपीआर की अध्यक्षता में पैनल सत्र का आयोजन किया गया और श्रीमती दीपा किरण, हैदराबाद से अंतरराष्ट्रीय मौखिक कथाकार, डॉ. गंगाधरन, निदेशक, हेरिटेज फाऊंडेशन, हैदराबाद डॉ. ई. वेंकटेशु, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, डॉ. नीरज मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, मजदूरी रोजगार केंद्र, एनआईआरडीपीआर तथा डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद पैनलकर्ता थे।

पैनलकर्ताओं ने ग्रामीण समुदायों में सामाजिक न्याय वकालत की प्रासंगिकता पर चर्चा की। "पूर्व में लोग सामाजिक न्याय की अवधारणा को परिभाषित करते थे, लेकिन अब सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है," उन्होंने कहा। पैनल चर्चा से उभरे समान दृष्टिकोण से समर्थन कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक न्याय के मुद्दों और निहितार्थों को समझना था जो ग्रामीण समुदायों के साथ काम करते समय महत्वपूर्ण हैं।

पैनल कर्ता में से एक, हेरिटेज फाउंडेशन के निदेशक डॉ. गंगाधरन ने दोहराया कि ग्रामीण समुदायों के निवासियों को संसाधनों की एक्सेस में कमी, गरीबी की उच्च दर, कम औपचारिक शिक्षा, उच्च निरक्षरता दर, विकलांगों के मुद्दों, ट्रांसजेंडर और बूढ़े लोगों का सामना कर रहे है । इस संदर्भ में, सामाजिक न्याय वकालत कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है । उम्र बढ़ने की वकालत और सामाजिक न्याय के एक भाग के रूप में इस समस्या से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना बहुत जरूरी है । वर्ष 1994 में, लगभग 60 मिलियन वृद्ध लोग थे और किसी को नहीं पता था कि आज उम्र बढ़ने के बारे में क्या चर्चा की गई और 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 104 मिलियन वृद्ध लोग रहते हैं । तीन चीजें - आय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और देखभाल - वृद्धावस्था के मुद्दों के समाधान के लिए सामाजिक वकालत की कार्रवाई करना बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

'Progressive policies must to plug inequalities in education'

National seminar held to mark World Day of Social Justice at NIRDPR

SPECIAL CORRESPONDENT
HYDERABAD

In Indian society, educational inequalities persist across various social groups from pre-primary to higher education and progressive public policies should be implemented by the government at every level, argued K. Ananda Kishore, former Director of SCERT, Andhra Pradesh.

He was speaking at a session on Equity, Education and Social Development at a national seminar organised by the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR) to mark the World Day of Social Justice 2019.

The session was chaired by R.C Patel, dean faculty of Education and Psychology, M.S. University, Vadodara, Gujarat, with other panellists being C. Madhumathi, Faculty of education, Osmania University, B.Sunita, programme head, Pratham Education Foundation, Hyderabad; T. Vijaya Kumar, head, CESD, NIRDPR, among others.

Classroom transactions

Prof. Patel said to provide equity in education, classroom transactions should be improved along with other linkages like physical development of the children through nutritious food. "Strong institutional building by placing the required number of teachers, teacher educators and educational officers can address the equity issues in school education," he said.

Ms. Sunita of Pratham Foundation deliberated on quality education and said one should focus on the foundational years of schooling.

Teachers should use different pedagogical tools for developing higher order cognitive, social and behavioural skills among students. Prof. Madhumathi spoke on contextualisation of education to achieve equity and equality by linking an individual to society through education.

Dr. Vijaya Kumar said three social agencies - family, school and community - are in divorce relationship and that was adversely affecting the quality of learning among children.

Two-day national seminar on social justice from tomorrow

Aims at facilitating discussion on advocacy of social justice

SPECIAL CORRESPONDENT
HYDERABAD

The National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD-PR) will conduct a national seminar to mark the World Day of Social Justice 2019 on Sustainable Development and Social Justice: Issues and Way Forward on February 20 and 21.

The guests of honour will be Draupadi Ghimiray, social worker, founder of Sikkim Viklang Sahayata Samiti (SVSS) and recipient of Padma Shri in 2019 for her three decade service to persons with disabilities, and Dr. Lavu Narendranth, orthopedic surgeon by profession and recipient of Padma Shri in 2005 for his work in development of ultra-low weight prosthetic limbs for polio affected persons and amputees and contributions to Indian medicine.

Padma Shri recipient Draupadi Ghimiray, a social worker, will attend the seminar as a guest

The purpose of the seminar is to facilitate discussion on advocacy of social justice among the communities, said T. Vijaya Kumar, associate professor and head, Centre for Equity and Social Development, NIRD-PR.

R. Limbadri, vice-chairman of the Telangana State of Higher Education, and Ramesh Chandra Patel, dean, faculty of education and psychology at M.S. University-Vadodara, Gujarat, will be the keynote speakers of this seminar, a press release informed on Monday.

NIRD honours Padma Shri recipients

Celebrates World Day of Social Justice

SPECIAL CORRESPONDENT
HYDERABAD

The National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR), Hyderabad, celebrated World Day of Social Justice by honouring Padma Shri recipients Draupadi Gimirey and L. Narendranath here on Wednesday.

R. Limbadri, Vice-Chairman of Telangana State Council of Higher Education (TSCHE) who delivered the keynote address, emphasised the need for providing quality education to students since education was one of the important tools to deliver social justice and plug inequalities.

R.C Patel , dean, psychology and education, M.S. University, Gujarat, emphasised on the effective implementation of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme with more focus on educating children with special needs for bridging the social and gender gaps in elementary education.

Education is one of the important tools to deliver social justice and plug inequalities.

R. LIMBADRI
Vice-Chairman, TSCHE

T. Vijaya Kumar, associate professor and head of Centre for Equity and Social Development, NIRD, said some States and districts in the country report social development that is similar to leading industrialised countries, but there continues to be large disparities in poverty levels, mortality rates, educational attainments and access to resources between regions, social gaps and the sexes.

श्रीमती दीपा किरण, अंतर्राष्ट्रीय मौखिक कहानीकार ने कहा कि कहानी, विचार अवधारणाओं को प्रसारित करने के वाहन हैं । कहानियों के आदान-प्रदान के कार्य महत्वपूर्ण सोच और सहकारी और गैर-न्यायिक सुनने के लिए स्थान प्रदान करते हैं । इस तरह, कहानी को आगे ले जाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य का समर्थन कर सकते हैं ।

डॉ. नीरज मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर ने कहा कि न्याय निष्पक्षता है जब आप किसी भी समाज में वंचित आबादी के लिए काम कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि न्याय पाने के लिए सहानुभूति और मदद करने का रवैया होना चाहिए।

हैदराबाद विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ ई. वेंकटेशु ने कहा कि सामाजिक न्याय एक बहुआयामी और सार्वभौमिक अवधारणा है । आरक्षण नीति सामाजिक न्याय को साकार करने के लिए एक साधन बन जाती है, विशेष रूप से उन देशों में जहां ऐतिहासिक रूप से संचित सामाजिक अभाव है । सामाजिक अभाव अस्पृश्यता, कलंक और व्यवसाय के रूप में परिलक्षित होता है । ग्रामीण गरीब सामाजिक सहायता की नीतियों के महत्व से अनजान हैं, "उन्होंने कहा।

डॉ. टी. विजय कुमार, जो कि संगोष्ठी समन्वयक भी है, ने कहा कि सतत विकास और सामाजिक न्याय को प्राप्त करना काफी हद तक सामाजिक न्याय कार्रवाई के समर्थन पर निर्भर करता है । एसडीजी लक्ष्य संख्या 10 और 16 सामाजिक न्याय को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं । अब, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करने का उच्च समय है ।

डॉ आर. आर. प्रसाद, जो पैनल सत्र के अध्यक्ष हैं, ने महसूस किया कि सतत विकास लक्ष्यों और सामाजिक न्याय ने एक नया संक्षिप्त रूप दिया जो कि केवल स्थिरता है । इसका मतलब निष्पक्षता है और इसमें जीवन के सभी पहलुओं और सभी सामाजिक समूह के सदस्यों के साथ उचित व्यवहार शामिल है ।

16 राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल, राजस्थान, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, नागालैंड, आदि से 70 प्रतिनिधियों सहित कुल 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया, आईएएसई, डीआईईटी, नलगोंडा के छात्र, डीडीयूजीकेवाई कक्ष, एनआईआरडीपीआर के कर्मचारियों, एनआईआरडीपीआर के संकाय और कर्मचारियों ने सत्र में भाग लिया । बाद में, ग्रामीण समुदायों में सामाजिक न्याय की वकालत, गरीबी उन्मूलन के लिए नीति और योजना तथा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के लिए समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा जैसे विभिन्न उप-विषयों पर चार तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया । सेमिनार के पहले दिन चार तकनीकी सत्रों में तीस पेपर प्रस्तुत किए गए।

संगोष्ठी की कार्यवाही के दूसरे दिन निष्पक्षता, शिक्षा और सामाजिक विकास पर एक सत्र शुरू किया गया जिसमें छह सदस्यीय पैनल शामिल थे । प्रोफेसर रमेश चंद्र पटेल, डीन, शिक्षा और मनोविज्ञान संकाय, एम.एस. विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात ने प्रो. सी. मधुमति, शिक्षा संकाय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के साथ पैनल चर्चा की अध्यक्षता की, एससीईआरटी, आंध्र प्रदेश के पूर्व निदेशक डॉ के. आनंद किशोर, कार्यक्रम प्रमुख, श्रीमती बी. सुनीता, प्रोग्राम हेड, प्रथम शिक्षा फाउंडेशन, हैदराबाद, श्री आर. वेंकटेशम गौड, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष, सामाजिक न्याय हेतु वकील फोरम, हैदराबाद, श्री चौ. मुरली मोहन, निदेशक, साधना स्वयंसेवी संगठन, हैदराबाद और डॉ टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीईएसडी, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद आदि ।

शिक्षा में निष्पक्षता पर विचार विमर्श और सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा प्राप्त करने की नीति, पैनलिस्ट ने जोर दिया कि स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीयकरण शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने की खाई को पाट सकता है ।

प्रो. सी. मधुमति, उस्मानिया विश्वविद्यालय ने शिक्षा से समाज को अलग-अलग जोड़कर निष्पक्षता और समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा के प्रासंगिकता के बारे में बात की ।

डॉ. के. आनंद किशोर ने कहा कि शिक्षा को एक साथ जीवन जीना सीखने पर ध्यान देना चाहिए । "भारतीय समाज में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न सामाजिक समूहों में शैक्षिक असमानताएँ व्याप्त हैं । इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के लिए, सरकार द्वारा प्रगतिशील सार्वजनिक नीतियों को लागू किया जाना चाहिए और स्कूल पाठ्यक्रम में सतत विकास लक्ष्यों पर सामग्री शामिल होना चाहिए, "उन्होंने कहा ।

अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सेमिनार को सम्बोधित करते हुए जस्टिस वी. ईश्वरैया

प्रथम फाउंडेशन की सुश्री बी. सुनीता ने शिक्षा की गुणवत्ता के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। न्यायसंगत गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए, बच्चों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षण के विभिन्न मॉडलों को अपनाकर बाल विद्यालय की बुनियादी वर्षों पर ध्यान देना चाहिए।

सरकारी स्कूलों की ढांचागत सुविधाओं का जिक्र करते हुए साधना संगठन के श्री सीएच मुरली मोहन ने उल्लेख किया कि स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान और अन्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के 18 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है । स्कूल की गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन और स्कूल के निधियों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल प्रबंधन समितियों की क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है ।

सामाजिक न्याय वकीलों के फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष श्री आर. वेंकटेशम गौड़ ने कहा कि नियमों को सही भावना से लागू नहीं किया जाता है । "इसके अनुसार, सरकारी स्कूलों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है । शिक्षकों के खराब प्रदर्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए । तभी, समतामूलक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, " उन्होंने कहा ।

डॉ. टी. विजय कुमार ने कहा कि परिवार, स्कूल और समुदाय तीनों सामाजिक एजेंसियों के बीच कमजोर अंतर्संबंध - बच्चों के सीखने की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं । उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर समुदाय सहभागिता और संग्रहण के माध्यम से मजबूत भागीदारी स्थापित की जानी चाहिए ।

प्रो. आर. सी. पटेल ने कहा कि शिक्षा, कक्षा में इक्विटी प्रदान करने के लिए अन्य कड़ियों जैसे मध्याह्न भोजन के माध्यम से पौष्टिक आहार प्रदान करके बच्चों के शारीरिक विकास के साथ लेनदेन में सुधार किया जाना चाहिए । केवल शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों और शैक्षणिक अधिकारियों की आवश्यक संख्या की नियुक्ति करके शैक्षिक क्षेत्र में मजबूत संस्थान निर्माण से स्कूली शिक्षा के इक्विटी मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है, उन्होंने कहा ।

इसके अलावा, उप-विषयों पर तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए और 21 पेपर प्रस्तुत किए गए। कुल मिलाकर, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के सभी सात तकनीकी सत्रों में 52 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए।

प्रो. ज्योतिस सत्यपालन, प्रमुख, सीडब्ल्यूई, एनआईआरडीपीआर ने समापन सत्र में स्वागत भाषण दिया और उसके बाद डॉ. टी. विजय कुमार द्वारा संगोष्ठी की एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । माननीय न्यायमूर्ति वी. ईश्वरैया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के पूर्व अध्यक्ष ने सामाजिक न्याय और संवैधानिक दृष्टिकोण से विकास पर विदाई भाषण दिया ।

न्यायमूर्ति वी. ईश्वरैया ने संविधान प्रस्तावना के महत्व पर जोर दिया और कहा कि संविधान सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव के खिलाफ पिरामिड के नीचे के लोगों की सुरक्षा करता है । उन्होंने कहा कि जातिविहीन और वर्गविहीन समाज ही स्थिरता हासिल करने में मदद कर सकता है ।

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने सत्र की अध्यक्षता की और मानवतावादी समाज के महत्व पर प्रकाश डाला, जहां बच्चे और महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में बहिष्कार के सबसे कमजोर वर्ग हैं । उन्होंने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए लोगों के बीच एक व्यवहारिक बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. टी. विजय कुमार ने सेमिनार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्रामीण समुदायों में सामाजिक न्याय का समर्थन, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय की योजना, सामाजिक न्याय, जेंडर समानता, सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय, और वंचित समूहों के सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के निर्धारकों के लिए समावेशी और समान शिक्षा जैसे विभिन्न विषयों पर सात तकनीकी सत्रों में कुल 52 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए ।

श्रीमती द्रौपदी जिमिरे ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस अवसर पर उपस्थित रहीं । डॉ. सोनल मोबार रॉय, सहायक प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं एसडी, एनआईआरडीपीआर ने सेमिनार का धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया ।

संगोष्ठी का समन्वयन डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीईएसडी, सहायक प्रोफेसर डॉ. सत्य रंजन महाकुल, डॉ. सोनल मोबार रॉय, डॉ. रुबीना नुसरत और डॉ. वी. ललिता, यूजीसीपीडीएफ, सीईएसडी, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया ।

ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण

श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, दाईं ओर से चौथे),
डॉ. एन. वी. माधुरी, प्रमुख प्रभारी, सीजीएसडी (पहली पंक्ति, दाईं ओर से पांचवे) और
डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य, सहायक प्रोफेसर, सीजीएसडी (2 पंक्ति, दाईं ओर से चौथे), प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

जेंडर अध्ययन एवं विकास केन्द्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने 4 से 31 जनवरी 2019 तक विदेश मंत्रालय के प्रायोजन के साथ निम्न और मध्यम आय वाले देशों के अधिकारियों और विकास चिकित्सकों के लिए 'ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण' विषय पर एक महीने का प्रशिक्षण आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम की काफी प्रशंसा की गई और प्रशिक्षण में तीन महाद्वीपों के 17 विकासशील देशों के 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया । प्रशिक्षण कार्यक्रम में बुरुंडी, कोटे-डी-वायर, किनिया, किर्गिस्तान, मलावी, मॉरीशस, मंगोलिया, नाइजर, दक्षिण सूडान, श्रीलंका, सूडान, तंजानिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, उजबेकिस्तान, वियतनाम, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. एन.वी. माधुरी, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख (प्रभारी) जेंडर अध्ययन केन्द्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा 4 जनवरी, 2019 को किया गया । दीक्षा के दो दिन बाद प्रतिभागियों को सीजीएसडी के संकाय द्वारा विकास के मुद्दों के साथ जेंडर की अवधारणा और इसके लिंकेज के बारे में प्रशिक्षित किया गया । तकनीकी सत्र 7 जनवरी, 2019 को शुरू हुआ। प्रतिभागियों को भारत में जेंडर अंतर को संबोधित करने वाले हस्तक्षेपों और कार्यक्रमों जैसे एनआरएलएम, एमकेएसपी, एसएचजी पर पहल और संघों, कौशल कार्यक्रमों आदि के लिए पेश किया गया । गैर-सरकारी कार्यों में विभिन्न सत्र आयोजित किए गए । मकाम जैसे जेंडर मुद्दों को संबोधित करते हैं - एक पहल जो महिला किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करती है; एक अन्य पहल महिला सम्प्रदाय जिसने महिलाओं को सामुदायिक समूहों में शामिल किया। लिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पोषण, जल और स्वच्छता, श्रमिक मुद्दों, कृषि, व्यापार, खाद्य सुरक्षा आदि के संबंध में अगले सप्ताह में कुछ आंतरिक और बाहरी संसाधन व्यक्तियों की मदद से विस्तार से चर्चा की गई । प्रतिभागियों को जेंडर बजट बनाने की तकनीकी अवधारणा से भी परिचित कराया गया । आधे दिन के सत्र में, प्रतिभागियों को जेंडर बजट बनाने और अपने संबंधित विभागों में इसका उपयोग करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित किया गया ।

व्याख्यान, पैनल चर्चा या समूह अभ्यास से जुड़े सत्रों के अलावा, प्रतिभागियों को एनआईआरडीपीआर से आंतरिक पर्यवेक्षक की उपस्थिति में प्रत्येक दिन के अंत में अपने संबंधित देशों के विकास परिदृश्यों को प्रस्तुत करने का समय दिया गया ।

कक्षा के सत्रों के अलावा, दो क्षेत्र कार्य - पहला, एक सप्ताह का लंबा क्षेत्र दौरा और दूसरा आधे दिन का अध्ययन पाठ्यक्रम दल द्वारा आयोजित किया गया । सप्ताह भर के क्षेत्र दौरे के लिए, प्रतिभागियों को वरंगल जिले में बाला विकास संगठन में ले जाया गया । अल्पकालिक यात्रा के लिए, प्रतिभागियों को अलीप औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया गया जहाँ उन्होंने सफल महिला उद्यमियों के साथ बातचीत की ।

क्षेत्र दौरा

प्रतिभागियों को एक गैर-लाभकारी पेशेवर बाला विकास सामुदायिक विकास संगठन ले जाया गया । इसे 1990 में श्रीमती बाला और श्री आंद्रे गिंगरास द्वारा स्थापित किया गया था। संगठन का आदर्श है स्वयं की 'मदद करने वाले समुदाय को स्वयं सहायता प्रदान करना हैं '। बाला विकास संस्थान में क्षेत्र की यात्रा के दौरान, प्रतिभागियों को विभिन्न सामुदायिक विकास गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिला ।

बाला विकास का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना और निराश्रित महिलाओं को सशक्त बनाना है जो अत्यधिक गरीबी में रहती हैं । बाला विकास इस बात की पुरजोर समर्थन करता है कि महिलाओं को समुदाय संचालित विकास में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए । इसलिए, महिला एकीकृत विकास कार्यक्रम गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुख्य रुप से

श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक , एनआईआरडीपीआर संगोष्ठी में भाषण देते हुए

बाला विकास का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना और निराश्रित महिलाओं को सशक्त बनाना है जो अत्यधिक गरीबी में रहती हैं । बाला विकास इस बात की पुरजोर समर्थन करता है कि महिलाओं को समुदाय संचालित विकास में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए । इसलिए, महिला एकीकृत विकास कार्यक्रम गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुख्य रुप से सामाजिक बदलाव लाने का अधिकार देता है । यह मुख्यधारा की समाज में कमजोर महिलाओं के एकीकरण को बढ़ावा देता है । सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिन्हें प्रतिभागियों ने देखा और भाग लिया, वे इस प्रकार हैं:

प्रतिभागियों ने समुदाय आधारित संगठनात्मक विकास और संपत्ति आधारित सामुदायिक विकास के मुख्य स्तंभों के बारे में सीखा। इन योजनाओं के तहत, लगभग 15 से 20 महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है, जिससे वे आंतरिक बचत और उधार गतिविधियों में संलग्न होती हैं । स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) एक वित्तीय मध्यस्थ समिति है । मिशन सबसे कमजोर समूह और महिला सशक्तिकरण को सशक्त बनाना है । एसएचजी की संरचना में तीन टीम शामिल है, जिसमें तीन समन्वयक शामिल है और प्रत्येक समन्वयक 21 गांवों की 500 महिलाओं के लिए जिम्मेदार है । उनका काम महिलाओं को सशक्त बनाना है । समन्वयकों द्वारा शामिल किए गए गांवों की कुल संख्या 150 है । इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं की संख्या 2,50,000 है । सभी एसएचजी समूहों में गतिविधियों को मानकीकृत किया जाता है और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और समूह के सदस्यों को प्रतिक्रिया दी जाती है ।

सभी घरों में स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वच्छ जल का उपयोग करने के लिए, बाला विकास ने जल शोधन विकास कार्यक्रम शुरू किया। प्रतिभागियों को जल शोधन केंद्रों को ले जाया गया, जहां पानी शुद्ध है और 20 लीटर पानी के लिए 1 रु की दर से एटीडब्ल्यू केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है । लाभार्थी जल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक कार्ड रखते हैं और यह धन एकत्र किया जाता है तथा एटीडब्ल्यू के संचालन के लिए नियुक्त होने वाली गरीब और निराश्रित महिलाओं के वेतन का भुगतान करने के लिए एक परिक्रामी निधि के रूप में उपयोग किया जाता है ।

यह देखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएँ कृषि, खेती और पशुधन जैसे गतिविधियों में कार्यरत हैं, उन्हें कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य रूप से फसलों को विकसित करने के लिए नेतृत्व करने का अधिकार दिया गया । कम इनपुट निवेश के साथ एक कीटनाशक मुक्त फसल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की गई है । आंध्र प्रदेश सरकार (तत्कालीन) ने पहले महिलाओं को खेती के लिए एक एकड़ जमीन देकर उनका समर्थन किया था और उन्हें लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे स्वतंत्र हों और निर्णय लेने की दिशा में सशक्त हों ।

जिला परिषद् हाईस्कूल, ओन्टिमामिडिपल्ली 2009 में अपने खराब कामकाज के कारण बंद कर दिया गया उस समय नामांकित लगभग सत्तर से अस्सी विद्यार्थियों को वापस जाना पड़ा । शैक्षणिक वर्ष 2014- 2015 में किंडरगार्टन से दसवीं कक्षा में चार सौ पचास छात्रों के नामांकन के साथ स्कूल फिर से खुल गया । इस मॉडल स्कूल को बाला विकास के सहयोग से गाँवों के सदस्यों द्वारा फिर से खोल दिया गया ।

महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए एकजुटता कार्यक्रम भारत में महिलाओं की निम्न स्तर की समस्याओं के लिए प्रतिभागियों को एक भावनात्मक प्रदर्शन रहा । कार्यक्रम ने विधवाओं को अधिक आत्मविश्वास और स्वतंत्र होने में मदद की है । विधवाओं को समाज की मुख्यधारा में एकीकृत करने का अधिकार दिया गया है, हालांकि सामाजिक रूप से निर्मित विश्वासों को मिटाने के लिए बाला विकास द्वारा बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान चलाया गया है । प्रतिभागियों को बच्चों के साथ बातचीत करने और यह जानने का अवसर मिला कि उन्होंने शिक्षा और कौशल के मामले में क्या हासिल किया है ।

प्रतिभागियों ने गंगादेवीपल्ली गाँव का भी दौरा किया, जिसका लगभग 200 वर्षों का इतिहास है और वर्तमान में इसे बाला विकास के सहयोग से दूरदर्शी कुसम राजामौली द्वारा शुरू किए गए प्रमुख विकास और प्रगति के कारण एक आदर्श गाँव के रूप में देखा जाता है ।

अध्ययन दौरे के अलावा, प्रतिभागियों को हैदराबाद में एएलईएपी के औद्योगिक क्षेत्र में भी ले जाया गया, जहां उन्होंने देखा कि कैसे सरकार द्वारा छोटी ऊष्मायन इकाइयों और बीज कोषों के माध्यम से महिला उद्यमियों का समर्थन किया जाता है । प्रतिभागियों ने एएलईएपी के भीतर सूखी दवा बनाने की इकाई, वी-हब (असेंबली लाइन प्रोडक्शन यूनिट) और स्टीकर प्रिंटिंग यूनिट की तीन पहलों का दौरा किया ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को 88 प्रतिशत की औसत प्रभावशीलता स्कोर के साथ ज्ञान सृजन में 96 प्रतिशत, कौशल विकास में 98 प्रतिशत और व्यवहार परिवर्तन में 100 प्रतिशत अंक के साथ अच्छी प्रतिक्रिया मिली। प्रतिभागी विभिन्न पृष्ठभूमि और भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में समझ के विभिन्न स्तरों के साथ प्रशिक्षण के लिए आए, लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष रूप से वारंगल का क्षेत्र दौरा उनके लिए भारतीय समाज का एक बड़ा प्रदर्शन रहा । इस उम्मीद के साथ कि प्रतिभागी अपने-अपने देशों में एनआईआरडीपीआर में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करेंगे, अंतिम दिन कार्य योजना पर एक सत्र आयोजित किया गया । कई प्रतिभागियों ने अपने देशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में रुचि व्यक्त की । कुछ प्रतिभागी नवगठित देशों से थे और अपने-अपने देशों में विधवाओं के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की । कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. एन. वी. माधुरी, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष (प्रभारी) और डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य, जेंडर अध्ययन एवं विकास केन्द्र, एनआईआरडीपीआर के सहायक प्रोफेसर ने किया ।

विकास के लिए सतत कृषि नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

डॉ. डब्ल्युआर रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, दाईं ओर से चौथे),
डॉ. सी एच राधिका रानी, प्रमुख (प्रभारी), सीएएस (पहली पंक्ति, बाएं से चौथे) और
डॉ. नित्या वी.जी., सहायक प्रोफेसर, सीएएस (पहली पंक्ति, दाईं ओर से तीसरे) प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 'ग्रामीण विकास के लिए सतत कृषि नीतियाँ' पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईआरडीपीआर में आईटीईसी के सदस्य देशों के वरिष्ठ चिकित्सकों और नीति निर्माताओं के लिए 21 जनवरी से 17 फरवरी, 2019 तक आयोजित किया गया । 15 विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 25 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया । कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्रॉस लर्निंग अनुभवों को बढ़ावा देना और उन्हें स्थायी कृषि और ग्रामीण विकास पर देश-विशिष्ट कार्य योजनाओं में परिवर्तन करना था ।

कृषि वह क्षेत्र है, जिस पर अधिकांश ग्रामीण परिवार निर्भर हैं, लेकिन उद्योग और सेवा क्षेत्रों की तुलना में कुल सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान कम है । जलवायु से लेकर बाजार तक, किसानों को कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है । लगभग सभी विकासशील देशों में परिदृश्य समान है । हालांकि, देश में कृषि आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के दौरान सुशासन, समावेशिता और इक्विटी को अपनाने में सफल मामलों की घटनाएं हुई हैं । प्रशिक्षण कार्यक्रम आईटीईसी के सदस्य देशों को कृषि और ग्रामीण विकास में सफलता की कहानियों को प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया ।

कार्यक्रम को चार मॉड्यूल में कवर किया गया । 'भारत में आरडी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन' पर मॉड्यूल में ग्रामीण बुनियादी ढांचे और स्वच्छता, स्थानीय स्व-सरकारी संस्थाओं, मनरेगा, एसएचजी अवधारणाओं और कार्यान्वयन, और एनआरएलएम के माध्यम से अपनी आजीविका को जोड़ने के सत्रों को कवर किया गया । भारत में सतत कृषि पर मॉड्यूल - अवधारणाओं और प्रक्रियाओं ' भारत में वर्षा आधारित कृषि स्थिति पर सत्र, भारत में वाटरशेड कार्यक्रम, ड्राईलैंड कृषि नवाचारों और तकनीकी विकास, कृषि मशीनीकरण में लिंग की भूमिका, मूल्य श्रृंखला विश्लेषण शामिल थे। ' सतत् कृषि और ग्रामीण विकास संस्थानों ' के तीसरे मॉड्यूल में किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, जल उपयोगकर्ता संघों, किसान क्लबों आदि जैसे समुदाय-आधारित संस्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया, प्रतिभागियों को प्रदर्शनी दौरे पर ले जाया गया । सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों जैसे कि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान के लिए सूखा कृषि (क्रीडा), उत्कृष्टता केंद्र, तेलंगाना राज्य बागवानी विभाग, सतत कृषि केंद्र (सीएसए), परियोजना निदेशालय पोल्ट्री (पीडीपी), राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थान (एनआईपीएचएम) और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आदि ।

तीनों मॉड्यूल से संबंधित कक्षा सत्रों के अनुसरण के रूप में, प्रतिभागियों को ऑरोविले, पुडुचेरी में चार दिवसीय अध्ययन दौरे के लिए ले जाया गया, जहां उन्होंने स्थायी कृषि अर्थात एकीकृत कृषि, जैविक खेती से संबंधित ऑरोविले की विभिन्न परियोजनाओं, स्थायी इनपुट उत्पादन, स्थायी मूल्य श्रृंखला गतिविधियों, समुदाय समर्थित वन विकास, बांस संसाधन केंद्र, आदि का दौरा किया ।

प्रतिभागियों को चार समूहों में विभाजित किया गया और उनके द्वारा देखे गए प्रत्येक सर्वोत्तम अभ्यास पर अपने संबंधित देशों के साथ भारतीय स्थिति का विश्लेषण / तुलना करने और प्रस्तुत करने के लिए कहा गया । उनकी सभी प्रस्तुतियों के संकलन ने उन्हें अपने देश के लिए विशिष्ट कार्य योजना पर एक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की, जो उन्होंने कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत की । कार्यक्रम प्रतिभागियों के फीडबैक के साथ संपन्न हुआ । कार्यक्रम का आयोजन डॉ सी एच राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख (प्रभारी) और डॉ. नित्या वी.जी. सहायक प्रोफेसर, सीएएस ने किया ।

जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें: डॉ. मालिनी वी. शंकर

डॉ. मालिनी वी. शंकर, आईएएस (सेवानिवृत्त) एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में पेयजल पर व्याख्यान देते हुए

डॉ. मालिनी वी शंकर, आईएएस (सेवानिवृत्त) द्वारा "पेयजल" पर एक विशेष व्याख्यान, 11 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडीपीआर) के परिसर में आयोजित किया गया । इसकी अध्यक्षता श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने की ।

डॉ. मालिनी वी शंकर महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने भारत सरकार के पूर्व महानिदेशक, नौवहन के रूप में कार्य किया है । उन्होंने बताया कि अपने जीवन का लगभग एक तिहाई भाग पानी से संबंधित क्षेत्रों में बिताया - झीलों से सिंचाई तक पेयजल और अंत में शिपिंग आदि पीने के पानी पर अपने व्याख्यान में डॉ. मालिनी ने कानूनों के पेशेवर अनुप्रयोग और नीति निर्माण के अन्य पहलुओं का अच्छी जानकारी दी जो जल से संबंधित विषय थे ।

जल की सुरक्षा के बारे में बात करते हुए, डॉ. मालिनी ने कहा कि पानी केवल एक सामान्य अच्छा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और एक भावनात्मक अच्छा भी है । उन्होंने कहा, "पानी को लेकर युद्ध लड़े गए, राज्यों ने पानी के आधार पर अलग राज्य की मांग की।" जल स्तर में कमी को प्रमुख चिंताओं में से एक के रूप में संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि, अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा । आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के विभाजन पर तथ्यों को दोहराते हुए, अतिथि ने कहा कि तेलंगाना आंदोलन का एक बड़ा कारण पानी के उपयोग को लेकर है । कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियाँ महाराष्ट्र में उत्पन्न होती हैं, तेलंगाना के क्षेत्र से होकर गुजरती हैं और अंत में आंध्र प्रदेश में समुद्र में मिल जाती हैं । हालाँकि नदियाँ तेलंगाना राज्य से होकर गुजरती हैं, लेकिन उन्हें पानी का उपयोग करने में मुश्किल होती है । उन्होंने यह भी कहा, महाराष्ट्र में 70 प्रतिशत सूखा ग्रस्त और 7 प्रतिशत बाढ़ ग्रस्त है । इसके अलावा, यह नहीं भूलना चाहिए कि पीने के पानी बनाम सिंचाई के पानी के मुद्दे भी हैं ।

कुछ उदाहरण हैं कि अतिथि वक्ता ने पानी के आधार पर स्थानीय लोगों के प्रतिशोध पर विचार किया हैं कि किस प्रकार कोकाकोला कंपनी को प्लाचीमाडा, केरल में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए बाधा उत्पन्न की थी और तमिलनाडु, जो एक समर्थक उद्योग राज्य है, ने पानी के सवाल पर कंपनी को एक संयंत्र स्थापित करने से रोक दिया ।

अतिथि वक्ता ने पानी के संरक्षण पर भी विस्तार से बात की । उसने उल्लेख किया कि पानी विभिन्न कारणों से विभिन्न चरणों में रिसाव हो जाता है । यह पाइपलाइनों में रिसाव के माध्यम से, या खुली नहरों में वाष्पीकरण और मुख्य रुप से लोगों के रवैये के कारण पानी खो जाता है । पानी को लोगों द्वारा अनन्त माना जाता है और वे इस पर अपना अधिकार मानते हैं । इसी मानसिकता के कारण, लोग पानी के उपयोग की मात्रा पर एक सीमा रखना पसंद नहीं करते हैं और पानी के उपयोग के लिए भुगतान भी नहीं करते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण लोग संरक्षण तकनीकों के बारे में बहुत अधिक जागरूक हैं और यह शहरी भीड़ है जिसे संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है । डॉ. मालिनी ने दिल्ली सरकार के एक उदाहरण का उल्लेख किया जो पानी के उपयोग के प्रति इस तरह के रवैये के समाधान के साथ आया । दिल्ली सरकार प्रति दिन 30 लीटर पानी (जो दैनिक उपयोग के लिए न्यूनतम माना जाता है) मुफ्त में देती है और शेष देय है । यह सफल साबित हुआ । अतिथि वक्ता ने मलकापुर टाउन पंचायत का एक उदाहरण दिया, जिसने पानी के उपयोग के लिए दिल्ली सरकार से एक समान प्रक्रिया का पालन किया । पंचायत ने मीटरों की खरीद पर भी खर्च किया और अंततः उपयोगकर्ताओं से इसे कुछ समय के लिए इकट्ठा किया । यह जल संरक्षण और पानी के उपयोग पर सफलता की कहानियों में से एक है ।

पानी को छोड़कर, किसी अन्य क्षेत्रों में सरकार योजना, निर्माण, उपयोग और रखरखाव से लेकर सब कुछ संभालती है । स्पीकर ने कहा कि हम हमेशा "निर्माण - उपेक्षा - पुनर्निर्माण" के जाल में पड़ जाते हैं । बल्कि हमें लोगों को संरचनाओं को बनाए रखने की जिम्मेदारी देने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे सरकार पर बोझ कम हो । उसने कहा, "लोग मोबाइल फोन पर प्रति माह 250 रुपये खर्च करते हैं,

पानी के लिए 100 रुपये प्रति माह एक बड़ी चिंता का विषय है, पुरुष पानी पर निर्णय बनाये, निष्पादित और पालन करें । एक सिविल सेवक के रूप में अपने अनुभवों को साझा करते हुए, स्पीकर ने कहा कि महिलाओं को कभी भी पानी की आपूर्ति के मुद्दों पर सहमति नहीं दी जाती है । वास्तव में, यह महिलाएं हैं जो कुओं, सामान्य नल, नदियों और नहरों से पानी इकट्ठा करती हैं । महिलाएं काम पर जाने में विफल रहती हैं (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में) क्योंकि उन्हें पानी इकट्ठा करना पड़ता है, जो एक निश्चित समय पर जारी नहीं किया जाता है । लड़कियों के स्कूल छोड़ने का यह भी एक कारण है । इसलिए पानी के संबंध में नीतियां बनाते समय महिलाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए । उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वे पानी के लिए भुगतान करना चाहते हैं ।

दर्शकों में छात्रों और संकाय के सवालों के जवाब देते हुए डॉ. मालिनी ने कहा कि पाइप लाइन जल प्रणाली, अनिवार्य मीटरिंग के साथ पानी से संबंधित कई मुद्दों को हल करेगी । पानी के उपयोग की जांच करने के लिए, भुगतान करने की इच्छा पर किए गए सर्वेक्षणों पर विचार किया जाना चाहिए, इंजीनियरों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए, पानी के स्रोत की पहचान की जानी चाहिए और उस स्रोत की निश्चित गहराई से परे उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए । स्पीकर ने यह भी उल्लेख किया कि जल क्षेत्र में कई सुधार किए जाने हैं । जल संचयन-अनुकूल वास्तुकला को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और स्वदेशी विचारों और जल संरक्षण के अन्य सांस्कृतिक तरीकों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए । अपने अनुभव को साझा करते हुए, अतिथि ने मुंबई के एक क्षेत्र का उल्लेख किया, जहां कुछ स्तर से परे भूजल का निष्कर्षण निषिद्ध था । वर्षों में, भूजल का स्तर बढ़ा और निर्माण जैसे विकास के अन्य क्षेत्रों में बाधा डाल रहा था । इस प्रकार, नीति बनाने के लिए नीति बनाने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है जो स्थानीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त है और ऐसी नीति जो प्रकृति के अनुकूल हो । उसने यह भी उल्लेख किया कि पानी के संबंध में सभी मौजूदा समस्याओं का समाधान भारत की प्राचीन वास्तुकला में पाया जा सकता है । उन्होंने कहा, "इस तरह के कई तरीकों को आज हमारे व्यवहार में खोजा जाना चाहिए।" इसके अलावा, सम्मेलन ने संभावित समाधानों पर प्रकाश डाला, जो विरासत, प्रज्वलित दिमाग ज्ञान का प्रकाश फैलाने और महिलाओं की भागीदारी में पाया जा सकता है ।

कुल मिलाकर, दर्शकों के बीच हर कोई पानी के उपयोग, इसके संरक्षण और पानी के बारे में चिंता के अन्य क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील था । सेवा में वर्षों से डॉ. मालिनी वी शंकर के अनुभव ने जागरूकता बढ़ाने और नीति निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित करने में मदद की है । व्याख्यान में संकाय सदस्यों और पीजीडीआरडीएम और पीजीडीएम के छात्रों ने भाग लिया । व्याख्यान का समन्वय डॉ. देबप्रिया, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी अध्ययन केंद्र और दूरस्थ शिक्षा, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया ।

- सीडीसी पहल

पोषण अभियान में पीआरआई और एसएचजी को शामिल करने के लिए राइटशॉप

डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर और प्रमुख, सीएचआरडी (पहली पंक्ति बाएं से चौथे) प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

जन आंदोलन में पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी के लिए नीति आयोग के लिए प्रस्ताव और कार्य योजना विकसित करने के लिए दो दिवसीय राइटशॉप कार्यक्रम के निदेशक डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर और प्रमुख, सीएचआरडी, एनआईआरडीपीआर के मार्गदर्शन में 7 और 8 फरवरी, 2019 को आयोजित किया गया । यह राइटशॉप यूनिसेफ के समर्थन से सीआरयू-एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित पोषण अभियान में पीआरआई और एसएचजी को शामिल करने पर की गई । इसके अलावा 3 जनवरी, 2018 को आईआरडीपीआर, नीति आयोग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया । बैठक का उद्देश्य इस बात पर चर्चा करना था कि पोषण अभियान के तहत पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एनआईआरडीपीआर, एमओडब्ल्यूसीडी, एनआरएलएम और नीति आयोग मिलकर पीआरआई और एसएचजी को कैसे जोड़ सकते हैं ।

राइटशॉप बजट और समयसीमा के साथ कार्ययोजना के ड्राफ्ट प्लान को विकसित करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया, जिसमें

पीआरआई और एसएचजी की भागीदारी के लिए प्रमुख हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नीति आयोग, एनआईआरडीपीआर में एनआरएलएम सेल, महिला एवं बाल विकास-तेलंगाना विभाग से 19 प्रतिभागियों के प्रशिक्षण और निगरानी के लिए आईईसी सामग्री, प्रशिक्षण रूपरेखा और उपकरण की सूची और यूनिसेफ रायपुर और हैदराबाद कार्यालय प्रतिभागीगण, परिपूर्ण और समूहों में, अवसरों, सीमाओं, चुनौतियों और समाधानों पर विचार-विमर्श किया।

कार्यशाला में भाग लेते हुए, एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी ने राइटशॉप में शामिल होकर पोषण अभियान में पीआरआई और एसएचजी सदस्यों के महत्व पर जोर दिया। "स्थानीय नेताओं के रूप में, वे पोषण अभियान के परिणामों के प्रति लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं", उन्होंने कहा।

महानिदेशक ने समूह को एक घंटे का प्रशिक्षण कैप्सूल विकसित करने और सभी एसआईआरडी को उपलब्ध कराने के लिए कहा ताकि वे इसे पीआरआई की चल रही प्रशिक्षणों में विशेष रूप से उनके आगमन प्रशिक्षणों में एकीकृत कर सकें। "संचार संपार्श्विक के साथ तीन घंटे के प्रशिक्षण का एक पूरा पैकेज एनआईआरडीपीआर वेबसाइट और एमओडब्ल्यूसीडी और एनआईटीआई आयोग पर डिज़ाइन और अपलोड किया जा सकता है और इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देश की एक पंक्ति जारी कर सकते हैं", उन्होंने कहा।

दो दिवसीय राइटशॉप के अंत में, प्रतिभागियों ने एनआईआरडीपीआर द्वारा व्यवस्थित तरीके से पीआरआई और एसएचजी की भागीदारी के लिए सुझाई गई नीति, मॉडल और अनुमानित लागत को विकसित और प्रस्तुत किया।

सतत विकास के लिए जल संसाधन प्रबंधन पर आर्डो कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, बाएं से चौथे) और
डॉ. रवींद्र एस. गवली, प्रमुख, सीएनआरएम (पहली पंक्ति, दाईं ओर से तीसरे) प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

जल एक सीमित संसाधन है जो मानव कल्याण के लिए मूल है और केवल अक्षय तभी है यदि अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है। स्मार्ट जल प्रबंधन सतत विकास की एक पूर्व शर्त है। कुशलता से प्रबंधित किया गया पानी तेजी से और अप्रत्याशित परिवर्तनों के सामने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण प्रणालियों की व्यवहार्यता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सीमाओं और एक क्रॉस-कटिंग ड्राइवर सहित स्थायी विकास के तीन आयामों के लिए मौलिक है। एक समग्र दृष्टिकोण की ओर एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण से बढ़ना, जो खाद्य पदार्थों, ऊर्जा, स्वास्थ्य, व्यापार, पर्यावरण और पानी के बीच अंतर-संबंधों को आकर्षित करता है जो आवश्यक है।
दुनिया के कुछ भागों में, पानी की कमी हो गई है और संभवतः सतत विकास के लिए एक गंभीर बाधा बन जाएगी। पानी की कमी का सामना करने वाले कुछ विकासशील देशों में, विशेष रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में, सतत विकास दृढ़ता से समाज और प्रकृति दोनों के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता और जल संसाधन प्रबंधन के तरीके पर निर्भर करता है। इन विकासशील देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सैद्धांतिक, पद्धतिगत और तकनीकी सहायता लें।

स्थायी जल संसाधन प्रबंधन और विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र ने सतत् विकास के लिए जल संसाधन प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद में 4 से 17 फरवरी, 2019 तक किया गया। 13 देशों (बांग्लादेश, मिस्र, जॉर्डन, ताइवान, मलावी, मॉरीशस, मलेशिया, नमोनिया, ओमान, श्रीलंका, सीरिया, ट्यूनीशिया और ज़ाम्बिया) से कुल 20 प्रतिभागियों ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा स्वागत भाषण और उद्घाटन संबोधन डॉ. मनोज नारदियो सिंह, एएसजी, आर्डो से किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य थे i) जल संसाधनों के संरक्षण और विकास के माध्यम से सतत विकास के लिए जल संसाधन के कुशल प्रबंधन के लिए

जल संसाधन के कुशल प्रबंधन के लिए प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना; ii) गरीबी और पर्यावरणीय न्यूनीकरण और जल संसाधन प्रबंधन की भूमिका के बीच संयोजन को बताना, और iii) तीन व्यापक सामग्री अर्थात 1) सतह सिंचाई- दक्षता में सुधार 2) भूजल संरक्षण: संरक्षण और विकास 3) भागीदारी सिंचाई प्रबंधन के साथ जल के कुशल उपयोग के लिए स्थानीय संस्थागत तंत्र पर ज्ञान प्रदान करना।

विभिन्न संगठनों के प्रमुख वक्ताओं - सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर (क्रीड़ा), सोलापुर विश्वविद्यालय, एनजीओ और एनआईआरडीपीआर के संकाय ने प्रतिभागियों के साथ अपने ज्ञान को संबोधित किया और साझा किया। कक्षा सत्रों के अलावा, प्रतिभागियों ने विभिन्न संस्थानों का दौरा किया जैसे जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (जेएनटीयू), सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (सीजीजी), रूरल टेक्नोलॉजी पार्क (आरटीपी) और सेमी-क्रॉप ट्रॉपिक्स (इक्रीसैट) के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ताकि व्यावहारिक रूप से शासन और जल संसाधन प्रबंधन में उनके कार्यों को समझा जा सके। इस कार्यक्रम में विभिन्न सत्रों के तहत स्थायी जल संसाधन प्रबंधन के विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया जैसे जल संसाधन प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन के लिए जीआईएस आवेदन, पारंपरिक जल संचयन प्रणाली, जल संकट क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में वृद्धि, जल संसाधनों पर भूमि उपयोग प्रथाओं का प्रभाव, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलागम योजना, जल संसाधन प्रबंधन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, स्थायी कृषि के लिए जल प्रबंधन और भागीदारी सिंचाई प्रबंधन में सामुदायिक गतिशीलता आदि।

कार्यक्रम टीम ने कर्नाटक में चार दिवसीय क्षेत्र अध्ययन का आयोजन किया। क्षेत्र की यात्रा के दौरान, प्रतिभागियों ने जलागम किसानों के साथ बातचीत की और जलागम विकास गतिविधियों के बारे में जानने के लिए चिक्काबल्लापुर जिले में जलागम के तहत बनाई गई स्थायी आजीविका का दौरा किया। मंड्या में वीसी फार्म की यात्रा के दौरान, प्रतिभागियों ने कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की और महाविद्यालय द्वारा किए गए विभिन्न कृषि गतिविधियों को देखा।

प्रतिभागियों का बीआर पहाड़ियों पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक व्यावहारिक प्रदर्शन था जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित है। पांच परत सिद्धांतों के तहत प्राकृतिक खेती को अमृतभूमि 'के क्षेत्र दौरे में भी दिखाया और समझाया गया।

जल संसाधन प्रबंधन पर व्यावहारिक ज्ञान का पता लगाने के लिए जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं और संस्थानों का दौरा करने के प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई। डॉ. रवींद्र एस. गवली, डॉ. के. कृष्णा रेड्डी, डॉ. वी. सुरेश बाबू और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र की टीम ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

पत्रिका का प्रभावी कारक और इसे सुधारने के तरीकों पर लाइब्रेरी टॉक

डॉ. पी. कृष्णन, प्रधान वैज्ञानिक, एनएएआरएम, हैदराबाद ने 'लाइब्रेरी टॉक' के दौरान एक पत्रिका का प्रभावी कारक में सुधार पर व्याख्यान देते हुए।

एनआईआरडीपीआर में विकास प्रलेखन एवं संचार केन्द्र ने विभिन्न विषयों पर अकादमिक चर्चा और बातचीत आयोजित करने के लिए एक लाइब्रेरी टॉक के रूप में लाइब्रेरी वार्ता शुरू की, जो विभिन्न केंद्रों के संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों को लाभान्वित कर सकती है। पहल के भाग के रूप में, 15 फरवरी, 2019 को प्रभाव कारक और इसे बेहतर बनाने के तरीकों पर एक चर्चा हुई। प्रमुख वक्ता के रुप में डॉ. पी. कृष्णन, प्रमुख वैज्ञानिक, एनएएआरएम और डॉ. एन वी रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर, सी-गार्ड थे।

सीडीसी की प्रमुख डॉ. आकाँक्षा शुक्ला ने अतिथि का परिचय दिया और एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों सहित दर्शकों का स्वागत किया।

प्रभाव कारक (आईएफ) उस आवृत्ति का माप है जिसके साथ किसी पत्रिका में किसी विशेष वर्ष के लेख को उद्धृत किया गया है। इसका उपयोग किसी पत्रिका के महत्व या रैंक को मापने के लिए किया जाता है, जब इसके लेखों का हवाला दिया जाता है।

डॉ. पी. कृष्णन ने प्रभावी कारक पर विस्तार से बात की - एक पत्रिका के लिए यह मीट्रिक कैसे अस्तित्व में आया है, इसकी गणना कैसे की गई और कुछ सीमाएं हैं। प्रभाव कारक हमें एक पत्रिका के महत्व को जानने में मदद करता है। प्रभाव कारक जितना अधिक होगा, उतना ही उच्च पत्रिका को स्थान दिया जाएगा। इसकी गणना दो साल की अवधि के आधार पर की जाती है और इसमें उन लेखों की संख्या को विभाजित करना शामिल है जिन्हें लेखों की संख्या से उद्धृत किया गया है जो कि धर्मार्थ हैं। डॉ. पी. कृष्णन कहते हैं, "नागरिकता और प्रकाशन एक अलग गेंद का खेल है"। डॉ. पी. कृष्णन ने प्रभाव कारक की कुछ सीमाओं को सामने रखा। उन्होंने उल्लेख किया कि इसमें विश्व की केवल 4-5 प्रतिशत पत्रिकाएँ शामिल हैं। ऐसे कुछ मामले हैं जहां लेखक या लेख एक शोध को प्रभावित करते हैं लेकिन इसे प्रभावी रूप से कैप्चर नहीं किया जाता है। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों की तुलना करने के लिए प्रभाव कारक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो सॉफ़्टवेयर उपयोग किया जाता है वह समान लेकिन भिन्न नामों के बीच अंतर नहीं कर सकता है। प्रभाव कारक की एक बड़ी कमी यह है कि यह केवल अंग्रेजी भाषा में पत्रिकाओं के लिए उपलब्ध है।

डॉ. एम. वी. रविबाबू ने प्रभाव कारक के बारे में कुछ तथ्यों पर विस्तार से बताया । उन्होंने बात के दौरान मौजूद सभी संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं और छात्रों से खुद को स्कोपस डेटाबेस में नामांकित करने के लिए कहा । यह शोधकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर स्थिति प्रदान करेगा । इसी तरह, गूगल विद्वान में नामांकन करके रिपोर्ट, पुस्तकों, सम्मेलन पत्रों आदि की एक्सेस प्राप्त होता है, किसी विशेष क्षेत्र में नए शोधकर्ताओं की मदद कर सकता है ।

एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका, विशेष रूप से ग्रामीण विकास के जर्नल के प्रभाव कारक को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में बात करते हुए, डॉ. एन.वी. रविबाबू ने कहा कि पत्रिका की संपादकीय शक्ति को बढ़ाया जाना चाहिए । "ऑनलाइन समीक्षा प्रक्रिया की जानी चाहिए । साथ ही, पत्रिकाओं को खुली एक्सेस देने से इसकी स्थिति में सुधार होगा और क्षेत्र में अधिक से अधिक शोधकर्ताओं को मदद मिलेगी", उन्होंने कहा ।

सीडीसी पहल

एनआईआरडीपीआर, बीडीएल द्वारा स्कूलों में स्वच्छता पर जागरूकता बढ़ाने की संधि पर हस्ताक्षर

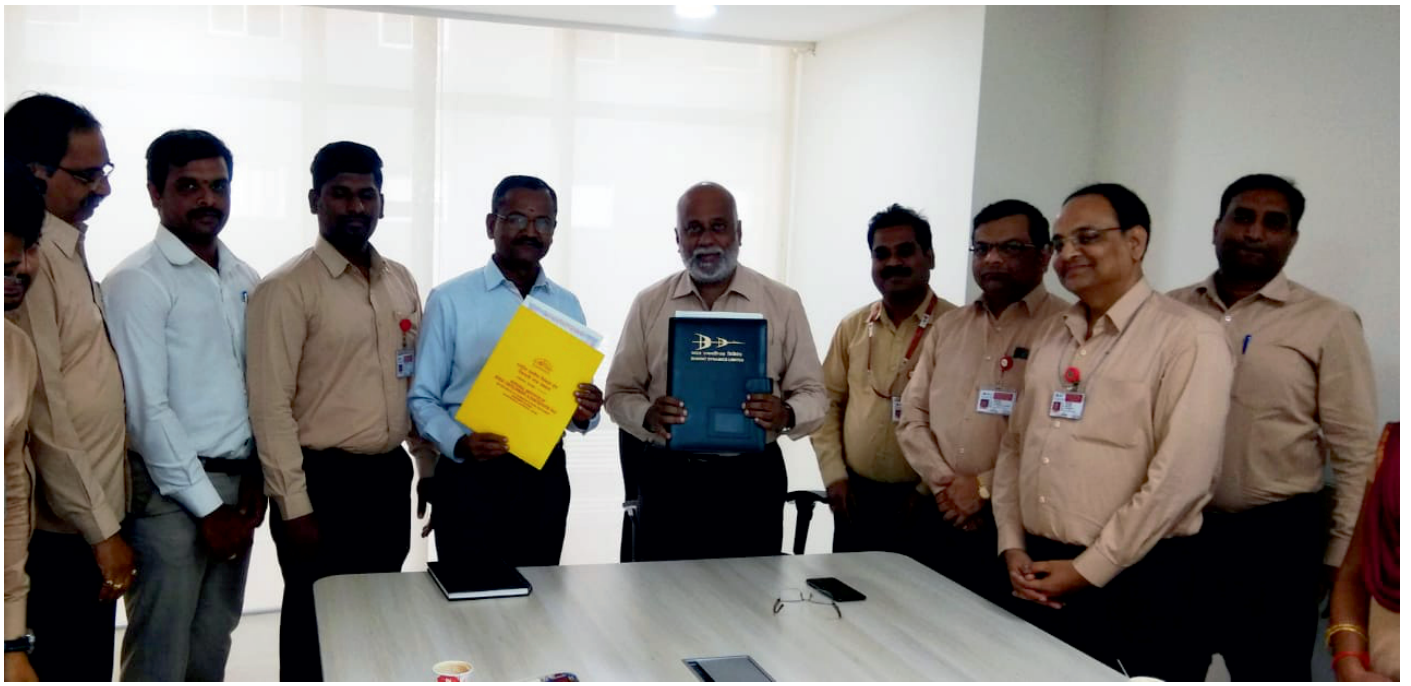

डॉ. आर मुरुगेषन, प्रमुख, सीएसआर, पीपीपी एवं पीए, बीडीएल अधिकारियों के साथ समझौता ज्ञापन को आदान-प्रदान करते हुए

5 फरवरी, 2019 को, एनआईआरडीपीआर (राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान) और बीडीएल (भारत डाइनामिक्स लिमिटेड) के बीच कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत, स्कूल में किशोर लड़कियों के बीच उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता स्तर पर, विशेष रूप से मासिक धर्म स्वच्छता पर सहायता और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। । चरण । के रूप में एक पायलट प्रोजेक्ट मोड में, पांच मंडलों (राजेंद्रनगर, मोइनबाद, गंडीपेट, शमशाबाद और सेरिलिंगमपल्ली) के रंगा रेड्डी जिले, तेलंगाना राज्य में 77 सरकारी उच्च प्राथमिक और माध्यमिक उच्च विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक की लड़कियों के लिए यह योजना लागू की गई है । द्वितीय चरण में, तीन से चार महीने के समय अवधि में, यह पहल पूरे रंगा रेड्डी जिले में विस्तारित की जाएगी, 421 सरकारी उच्च प्राथमिक और माध्यमिक उच्च विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 में 37,248 छात्राओं को शामिल किया जाएगा। तीसरे चरण में, इस योजना को एक सफल मॉडल के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा और यह एक स्थायी मॉडल में तेलंगाना राज्य के सभी जिलों के सभी सरकारी स्कूलों में चरण। और चरण ॥ के निष्कर्षों और शिक्षाओं के आधार पर होगा । समझौता ज्ञापन के अनुसार, बीडीएल अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत वित्त / निधि प्रदाता है, और एनआईआरडीपीआर-सीएसआर, पीपीपी एवं पीए स्वच्छता नैपकिन के विनिर्माण और वितरण और परियोजना क्षेत्र में स्कूल जाने वाली किशोर लड़कियों के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने वाली कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है । इन दोनों एजेंसियों के अलावा, तेलंगाना राज्य के राज्य और जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी परियोजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए दो एजेंसियों का समर्थन करके क्षेत्र स्तर पर तकनीकी रूप से मदद करेंगे ।

परियोजना की नीति प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता स्तर को बढ़ाने और स्कूल जाने वाली किशोर लड़कियों और उनके माता-पिता के बीच सफाई संबंधी नैपकिन की आपूर्ति और उपयोग (उचित निपटान) सुनिश्चित करना और स्थानीय महिलाओं या स्व-सहायता समूह, को सफाई संबंधी नैपकिन के निर्माण पर प्रशिक्षण देना और प्रत्येक जिला स्तर पर एक स्थायी मोड में स्कूल जाने वाली बालिकाओं को सफाई संबंधी नैपकिन के उत्पादन और वितरण की इकाइयाँ स्थापित करना ।

यह पहल, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी केन्द्र, लोक, निजी साझेदारी और जन कार्रवाई (सीएसआर, पीपीपी एवं पीए) के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. आर. मुरुगेषन द्वारा की गई ।

राष्ट्रीय नशीली दवाई की मांग में कमी के लिए कार्य योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के एसआईआरडी और ईटीसी के लिए एनआईआरडीपीआर ने किया दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

श्री आनंद कटोच, निदेशक, एनआईएसडी, नई दिल्ली, डॉ. टी. विजय कुमार, प्रमुख, सीईएसडी के साथ कार्यशाला में बातचीत करते हुए

समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने नशीली दवाईयों की मांग कटौती (एनएपीडीडीआर) के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) और विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र (ईटीसी) के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय परिचर्चा कार्यशाला का आयोजन किया । कार्यशाला का आयोजन 15 से 16 फरवरी, 2019 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी), नई दिल्ली के सहयोग से किया गया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एसआईआरडी और ईटीसी के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सक्रिय रूप से शामिल करके ग्रामीण क्षेत्रों में पदाधिकारियों को जागरूकता और निवारक शिक्षा सृजन करने के लिए सक्षम बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श करना था।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री आनंद कटोच, निदेशक, एनआईएसडी, नई दिल्ली द्वारा डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, इक्विटी एवं सामाजिक विकास केन्द्र, एनआईआरडीपीआर, की उपस्थिति में गुवाहाटी, असम में किया गया।

डॉ. टी. विजय कुमार ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि "नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों का सेवन एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भारत सहित दुनिया भर में खतरनाक अनुपात तक पहुंच रही है।" बदलते सांस्कृतिक मूल्य, बढ़ते आर्थिक तनाव और समर्थन प्रणालियों की कमी इस प्रवृत्ति के कुछ कारण हैं । उन्होंने कहा कि कई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक व्यवहार समस्याओं के लिए नशीली दवाओं का दुरुपयोग भी जिम्मेदार है । "नशीली दवाओं के दुरुपयोग और शराबबंदी से परिवार के सदस्यों पर चिंता, भय और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का स्थायी प्रभाव पड़ सकता है, खासकर महिलाओं और बच्चों के बीच, जिससे अंततः परिवार पर वित्तीय बोझ पड़ता है । अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और प्रचलित क़ानून और व्यवस्था के मुद्दे भी हैं" उन्होंने कहा।

कार्यशाला का उद्देश्य भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ड्रग मांग कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के ढांचे के संदर्भ में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की जागरूकता और निवारक शिक्षा पर चर्चा की सुविधा प्रदान करना है । इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करके भागीदारी, गठबंधन और सामूहिक कार्रवाई शामिल है।

कार्यशाला में असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा सहित हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया । भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की स्थिति, ड्रग डिमांड रिडक्शन 2018- 2023 के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की मुख्य विशेषताएं, एसएचजी महिलाओं, स्कूली बच्चों और पंचायती राज संस्थानों को शामिल करते हुए निवारक शिक्षा नीतियों, समुदाय के एकीकरण के माध्यम से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई । कार्यशाला के दौरान, असम मादक द्रव्य नियन्त्रण ब्यूरो के जोनल निदेशक ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और मिथकों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की वास्तविकता के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की स्थिति के बारे में बताया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, डॉ. रुबीना नुसरत, सहायक प्रोफेसर, समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया।

एनआईआरडीपीआर और नाबार्ड ने नाबार्ड के एफपीओ के लिए व्यवसाय विकास कार्यशाला का आयोजन किया

एनआईआरडीपीआर ने नाबार्ड और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 4 फरवरी- 5 वीं, 6 वीं -7 वीं और 11 वीं -12 वीं, 2019 के दौरान आंध्र प्रदेश के एफपीओ के लिए तीन दो दिवसीय व्यावसायिक विकास कार्यशालाएं आयोजित कीं। कार्यशालाओं के प्रतिभागी एफपीओ, सीईओ के बोर्ड सदस्य और उनके निर्माता संगठन प्रचार संस्थानों (पीओपी।) के प्रतिनिधि भी थे। इन कार्यशालाओं में कुल 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशालाओं के मुख्य उद्देश्य एफपीओ को बुनियादी व्यापार योजना को कौशल प्रदान करना और विभिन्न वस्तुओं और गतिविधियों के लिए मॉडल डीपीआर और व्यापार योजनाओं के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक बनाना।

किसान उत्पादक संगठन कृषि क्षेत्र में उभरती हुई संस्थाएँ हैं जिन्हें नीति और वित्त पोषण सहायता प्राप्त होती रही है। एफपीओ का संस्थागत मॉडल छोटे किसानों को प्रदान करने के लिए माना जाता है, जो बाजार में एकत्रीकरण और सौदेबाजी की शक्ति का लाभ देते हैं, विस्तार सेवाओं की लागत प्रभावी वितरण सक्षम करते हैं और सदस्यों को अपनी आजीविका को प्रभावित करने वाली नीतियों को प्रभावित करने का अधिकार देता है। हालांकि, वे किसानों की एक संस्था से एक पूर्ण व्यवसाय इकाई में खुद को बढ़ावा देने में कई मुद्दों का सामना कर रहे हैं। इसलिए, एफपीओ की व्यावसायिक योजना एक नीतिक वित्तीय हस्तक्षेप है जो एफपीओ को थोड़े समय के भीतर पूर्ण क्षमता पर काम करने में सक्षम बनाता है। मूल्य श्रृंखला विकास योजना से पहले एक मजबूत व्यवसाय योजना, सरकारी सब्सिडी और एक उद्यम संचालित राजस्व मॉडल पर निर्भरता से पूरी तरह से कायापलट का प्रयास करती है।

कार्यशाला में, एफपीओ के बोर्ड सदस्यों को उनके सीआईएन नंबर के आधार पर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट के साथ अपने अनुपालन की स्थिति की जांच करने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक एफपीओ का पालन करने वाले मुख्य मूल्यों को प्रतिभागियों के साथ साझा किया गया था। समूहों और एफपीओ-वार में प्रतिभागियों ने उन वस्तुओं के लिए मूल्य श्रृंखला विकास योजनाओं, विपणन योजना और वित्तीय योजना पर काम किया है जो वे संभाल रहे हैं।

कार्यशालाओं के परिणामस्वरूप, अपने 17 पीओपीआई प्रतिनिधियों की मदद से 21 एफपीओ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की। पहली और तीसरी कार्यशाला में क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, एपी के सीजीएम ने उद्घाटन सत्र में भाग लिया और प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने मूल्य श्रृंखला के माध्यम से उद्यम विकास की आवश्यकता पर जोर दिया और क्षेत्र के कुछ पीओआईआई द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने क्षेत्र की एफपीओ के पोषण में संपूर्ण सहायता का वचन दिया।

दूसरी कार्यशाला में नाबार्ड के प्रतिनिधि श्री नागेश कुमार, डीजीएम, एफपीडीडी, आरओ, नाबार्ड, एपी ने एफपीओ को मजबूत करने के लिए नाबार्ड की पहल के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वे नाबार्ड के आर्थिक विकास सहायता कोष के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि वे पात्रता मानदंड को पूरा करें और प्रतिभागियों को पत्र और भावना में क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन के लिए कार्यशाला से सीखने का उपयोग करने की सलाह दी।

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

संपादक : डॉ. के पापम्मा
सहायक संपादक: कृष्णा राज
के.एस. विक्ट र पॉल

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030
टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका